प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 2234/2023

अजय पांडे पिता एस शिव शंकर पांडे, आयु लगभग 33 वर्ष निवासी-111, महेबा मल्किया, कुंड, औरहरी दरवा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

--- अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, राजस्व खुफिया निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय इकाई, श्री संदीप कुमार के द्वारा , खुफिया अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष, पंचशील नगर, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 1989/2024

धरम सिंह पिता श्री जरनैल सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष निवासी चहल, पी. एस फरीदकोट, जिला-पंजाब, (पंजाब) 151203

--- अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, राजस्व खुफिया निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय इकाई, श्री संदीप कुमार के द्वारा , खुफिया अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष, पंचशील नगर, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 2282/2023

बलविंदर सिंह पिता दलबीर सिंह, 43 वर्ष निवासी वी. पी. ओ. विठवां, डाकघर भाम, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब)

--- अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, राजस्व खुफिया निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय इकाई, श्री संदीप कुमार के द्वारा , खुफिया अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष, पंचशील नगर, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

दाण्डिक विविध याचिका सं 1012/2024

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) भारत सरकार, इंदौर क्षेत्रीय इकाई, उप निदेशक के द्वारा , राजस्व आसूचना निदेशालय भारत सरकार, रायपुर क्षेत्रीय इकाई 30, पंचशील नगर, सिविल लाइंस, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।पिन–492001

--- याचिकाकर्ता

बनाम

श्री रविशंकर मिश्रा पिता श्री सूर्यबली मिश्रा 41 वर्ष पता–बटोआ, पारसीपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

दाण्डिक अपील सं. 2234/2023 में अपीलार्थी हेतु :––श्री निखिल वाधवानी, अधिवक्ता
दाण्डिक अपील सं. 2282/2023 में अपीलार्थी हेतु :––श्री पुनीत रूपारेल, अधिवक्ता
दाण्डिक अपील सं. 1989/2024 में अपीलार्थी हेतु :––श्री जमील अख्तर लोहानी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/डीआरआई तथा सीआरएमपी सं. 1012/2024 में याचिकाकर्ता/डीआरआई हेतु :––श्री अनुमेह श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

20.06.2025

1. चूंकि उपर्युक्त दाण्डिक अपीलें तथा दाण्डिक विविध याचिका एक ही निर्णय से उत्पन्न हुए हैं और चूंकि इन प्रकरण में तथ्य तथा विधि का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त तीन दाण्डिक अपीलें अर्थात दाण्डिक अपील संख्या 2234/2023, 2282/2023 और 1989/2024 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 374(2) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस), जांजगीर, जिला – जांजगीर–चांपा (सीजी) द्वारा विशेष प्रकरण (एनडीपीएस) संख्या 11/2020 में पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश दिनांक 30.10.2023 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता अजय पांडे, धरम सिंह और बलविंदर सिंह को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है तथा उन्हें 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,00,000/– रुपये प्रत्येक के जुर्माने का दंड पारित किया गया , जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड पारित किया गया .अजय पांडे, धर्म सिंह और बलविंदर सिंह को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 20(बी)(ii)(सी) सहपठित धारा 29(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2,00,000/– रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता / राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) भारत सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत सीआरएमपी संख्या 1012/2024 दायर की गई है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस), जांजगीर, जिला – जांजगीर– चांपा (छ.ग.) द्वारा विशेष मामले (एनडीपीएस) संख्या 11/2020 में पारित दोषमुक्ति करने के दिनांक 30.10.2023 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी / अभियुक्त रविशंकर मिश्रा को संदेह का लाभ देकर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के साथ धारा 29 (1) के तहत दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.02.2020 को प्रातः लगभग 10:05 बजे, वरिष्ठ खुफिया अधिकारी श्री रोशन कुमार गुप्ता को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 800 किलोग्राम अवैध भांग (गांजा) को एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या PB-12Q-7045 है, में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी, जिसका पंजीकरण संख्या UP-70DN-2656 है, के मार्गदर्शन में सुनकी, आंध्र प्रदेश से चंपा, छत्तीसगढ़ होते हुए लखनऊ ले जाया जा रहा है।उपरोक्त सूचना को उन्होंने लिखित रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारी श्री नितिन अग्रवाल, उप निदेशक, DRI, रायपुर क्षेत्रीय इकाई को भेजा, जिन्होंने एक निवारक दल (छापेमारी दल) का गठन किया और खुफिया अधिकारी श्री गौरव पांडे को किसी भी जब्ती की स्थिति में जब्ती अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री नितिन अग्रवाल (उप निदेशक), श्री संजय कुमार, (उप निदेशक), श्री उपेंद्र यादव (वरिष्ठ खुफिया

अधिकारी), श्री। पवन डोंगरे (खुफिया अधिकारी), वैभव ओझा (खुफिया अधिकारी), राहुल शर्मा (खुफिया अधिकारी), श्री अरुण कुमार गजबे (अधीक्षक), श्री अनुज कुमार (निरीक्षक) और ब्रजेश कुमार मौर्य (निरीक्षक) उपरोक्त निवारक दल के सदस्य थे।

5. दिनांक 18.02.2020 को रात्रि लगभग 9:00 बजे, उपरोक्त विशेष प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्रमांक 11/2020 निवारक दल घाटोली चौक (चांपा) पर पहुंचा, जहां आसूचना अधिकारी गौरव पांडे ने दो व्यक्तियों को गुप्त सूचना के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें उक्त दल में शामिल किया। इसके बाद, वे घाटोली चौक से लगभग 200 मीटर दूर प्रकाश इंडस्ट्रीज की ओर पहुंचे और उपरोक्त वाहनों की प्रतीक्षा करने लगे।रात लगभग 10:00 बजे, एक सफ़ेद स्कॉर्पियो, जिसका पंजीकरण क्रमांक UP-70DN–2656 था, वहाँ पहुँची, जिसे खुफिया अधिकारी गौरव पांडे ने रोका और उसमें बैठे दो व्यक्तियों के नाम पूछे। चालक ने अपना नाम रविशंकर मिश्रा और दूसरे ने अपना नाम अजय पांडे बताया। गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया था।5–10 मिनट बाद, एक ट्रक, जिसका पंजीकरण क्रमांक PB-12Q-7045 था, वहाँ पहुँचा, जिसे दल ने रोका और चालक का नाम पूछा, जिसने अपना नाम धर्म सिंह बताया और अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड क्रमांक 670796725635 दिखाया।इसके बाद, अधिकारियों द्वारा उक्त ट्रक के ट्रेलर की तलाशी ली गई और पाया गया कि ट्रेलर के फर्श की मोटाई सामान्य से अपेक्षाकृत अधिक थी, और उसे संशोधित किया गया प्रतीत होता है। बाईं ओर एक लोहे की चादर थी, जिसे अधिकारियों ने खोला और उसमें लोहे की ट्रे के साथ गड्ढे पाए। जब उन ट्रे को गड्ढों से बाहर निकाला गया तो उनमें कुछ पैकेट पाए गए, इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों से उन पैकेटों के बारे में पूछताछ की गई।पूछताछ में, उन्होंने उन पैकेटों में गांजा होने का खुलासा किया, जिसे अजय जायसवाल (फरार अभियुक्त) के लिए सुनकी, आंध्र प्रदेश से लखनऊ, उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। उपरोक्त स्थान एक सार्वजनिक सड़क थी, इसलिए, उपरोक्त तीन व्यक्तियों और पंच साक्षीयों की सहमति से, दल उपरोक्त वाहनों को आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस थाना, चांपा में ले आई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके बाद, ट्रेलर की क्रमिक रूप से तलाशी ली गई, जिसमें सबसे पहले बाईं ओर की लोहे की चादर को खोला गया और लोहे की ट्रे, कुल नौ, निकाली गईं। उन नौ ट्रे में से आठ ट्रे पैकेटों से भरी हुई थीं और एक खाली थी।इसके बाद, उक्त ट्रक के टूल–बॉक्स की तलाशी लेने पर एक पैकेट मिला, जिस पर "पी–1" अंकित था।"नारकोटिक ड्रग डिटेक्शन किट" से जाँच करने पर पैकेट में मौजूद पदार्थ गांजा पाया गया, इसलिए सभी पैकेटों को बाहर निकालकर उन पर "पी–2" से "पी–157" अंकित किए गए। उन पैकेटों के पदार्थ की भी उक्त किट से जाँच की गई और जाँच करने पर उन पैकेटों में भी पदार्थ गांजा पाया गया।सभी पैकेटों में गांजे की कुल मात्रा जानने के लिए, सभी पैकेटों का वजन किया गया और वजन करने पर कुल 837.970 किलोग्राम गांजा पाया गया।इसके बाद, ट्रक के केबिन की तलाशी ली गई और उक्त तलाशी में एक तलवार और वाहन क्रमांक PB-12Q-7045 और CG-04JB-8237 के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज और उसकी नंबर प्लेटें मिलीं।पूछताछ करने पर, धर्म सिंह ने उक्त ट्रक के मालिक का नाम बलविंदर

सिंह निवासी पंजाब बताया।इसके बाद, वाहन स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।उपरोक्त तीनों व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी राजपत्रित अधिकारी श्री उपेंद्र यादव, वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, डीआरआई, इंदौर जोनल यूनिट के समक्ष ली गई और उनकी तलाशी में धर्म सिंह के पास से दो मोबाइल फोन और पर्स, अजय पांडे के पास से एक मोबाइल फोन और एक पर्स और रविशंकर मिश्रा के पास से एक मोबाइल फोन और एक पर्स मिला।मोबाइल फोन की परिक्षण करने पर ज्ञात होता है कि अजय पांडे ने अपने मोबाइल नंबर 9161392112, 8303502859 से धर्म सिंह को उसके मोबाइल नंबर 8959166802 और 8917320132 पर कई बार कॉल की है।

7. इसके बाद, अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत सभी 157 पैकेट, ट्रक क्रमांक PB-12Q-7045, वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक UP-70DN-2656, वाहन क्रमांक PB-12Q-7045 और CG-04JB-8237 की नंबर प्लेट, तलवार, मोबाइल फोन जब्त कर राजस्व खुफिया निदेशालय, इंदौर क्षेत्रीय इकाई की मुहर लगा दी।खुफिया अधिकारी श्री गौरव पांडे ने दिनांक 19.02.2020 को प्रातः 2:30 बजे पंचों और स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में मौके पर हुई कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया और जब्त वाहन, लोहे की ट्रे, 157 पैकेट गांजा, तलवार, उपरोक्त नंबर प्लेट और मोबाइल फोन पुलिस थाना चांपा के मालखाने में जमा कर दिए।इसके बाद, उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत स्वेच्छा से अपना बयान दिया, इसलिए उसे लिखित रूप में दर्ज किया गया।उपरोक्त बयानों में, उन्होंने गांजा तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और चिकित्सा परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दिनांक 19.02.2020 को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जब्ती अधिकारी गौरव पांडे ने प्रत्येक जब्त पैकेट (कुल 314 पैकेट नमूने) से 30–30 ग्राम के 2 नमूने लिए और उन्हें प्लास्टिक की पॉलीथीन में लपेट दिया।इसके बाद, नमूने के प्रत्येक पैकेट को पीले रंग के लिफाफे में रखा गया और उस पर पी1 एस 1, पी. आई. एस 2 से लेकर पी157 एस 1, पी157 एस 2 तक अंकित किया गया था।तत्पश्चात, आसूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार–सह–कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लाई गई धातु की सील लगाकर नमूने के उपरोक्त कुल 314 पैकेटों को सीलबंद किया गया और इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही की गई। तहसीलदार के समक्ष जब्त वाहनों के संबंध में भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अंतर्गत कार्यवाही पूरी की गई।पूरी कार्यवाही के फोटोग्राफ भी लिए गए। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात, जब्त गांजा और वाहन आदि को पुनः पुलिस थाना चांपा के मालखाने में जमा किया गया और लिए गए नमूनों को रायपुर स्थित डीआरआई के मालखाने में जमा किया गया।

दिनांक 20.02.2020 को, श्री गौरव पांडे ने अपने वरिष्ठ श्री रोशन कुमार गुप्ता को उपरोक्त जब्ती कार्यवाही और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया और इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 का अनुपालन सुनिश्चित किया।

9. तत्पश्चात, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी श्री रोशन कुमार गुप्ता ने आसूचना अधिकारी श्री संदीप कुमार को इस मामले में आगे की अन्वेषण के लिए अधिकृत किया।दिनांक 02.03.2020 को, श्री संदीप कुमार ने परीक्षण ज्ञापन क्रमांक 1/2020 के माध्यम से, कुल 314 पैकेटों में से, P1S1 से P157S1 अंकित प्रथम नमूने के 157 सीलबंद पैकेट, इंदौर क्षेत्रीय इकाई के मालखाने में, शासकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना, नीमच, मध्य प्रदेश (जिसे आगे FSL कहा जाएगा) को जाँच हेतु भेजने हेतु जमा कराए तथा ज्ञापन क्रमांक 01/2020 दिनांक 11.03.2020 के आधार पर FSL से जाँच हेतु अनुरोध किया, किन्तु मार्च में कोविड–19 के कारण पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण, नमूनों की जाँच हेतु नमूने नहीं भेजे जा सके और अंततः दिनांक 23.04.2020 को, उन नमूनों को आसूचना अधिकारी अज़ाज़ खान के माध्यम से जाँच हेतु FSL को भेजा गया।उक्त नमूनों की जांच के बाद, एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट संख्या 13016 दिनांक 19.05.2020 भेजी, जिसमें जब्त पदार्थ के कैनाबिस (गांजा) होने की पुष्टि की गई।

10. अभियुक्त अजय पाण्डेय, धर्म सिंह और रविशंकर मिश्रा ने दिनांक 19.02.2020 को स्वेच्छा से अपने बयान दिए हैं, जिसका विवरण क्रमशः परिवाद के कंडिका संख्या 7 से 9 में पूर्ण रूप से उल्लिखित है। अजय पाण्डेय के बयान के आधार पर, डीआरआई, लखनऊ द्वारा अजय जायसवाल के घर की तलाशी ली गई और उक्त तलाशी में गांजे के 4 पैकेट (पुड़िया) मिले, जिन्हें डीआरआई लखनऊ द्वारा जब्त कर लिया गया और अजय जायसवाल को अपना कथन दर्ज करने के लिए नोटिस/समन दिया गया, लेकिन वह डीआरआई के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्त अजय पांडे के बयान के दौरान, उनके बैंक खाते का खाता संख्या 4512749693 का विवरण प्राप्त हुआ और उक्त विवरण के अनुसार, अजय पांडे ने दिनांक 02.11.2019 को ₹3,000/–, दिनांक 22.11.2019 को ₹1,000/–, दिनांक 08.02.2019 को ₹1,000/– और दिनांक 12.02.2020 को ₹15,000/– अभियुक्त धर्म सिंह को हस्तांतरित किए हैं। अजय पांडे ने दिनांक 16.10.2020 को चोडिपिल्ली के खाता संख्या 4282011501241 में ₹50,000/– और दिनांक 22.01.2020 को गंगा राव के खाते में ₹50,000/– जमा किए हैं और दिनांक 04.11.2019, 07.11.2019, 14.01.2020 और 06.02.2020 को क्रमशः ₹20,000/–, ₹25,000/–, ₹5,000/– और ₹15,000/– गोपी के खाते में स्थानांतरित किए हैं, जिसमें से 06.02.2020 को स्थानांतरित ₹15,000/– आरोपी बलविंदर सिंह के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। अभियुक्त अजय पांडे ने **बलविंदर सिंह के खाते में** दिनांक **14.01.2020 को** ₹ 5,000/– **और** दिनांक 28.01.2020 **को** ₹ 2,000/– भी स्थानांतरित किए हैं।अभियुक्त अजय पाण्डेय ने **बलविंदर सिंह के खाते में दिनांक 14.01.2020 को 5,000/–** तथा दिनांक 28.01.2020 को 2,000/– रुपये भी हस्तांतरित किए हैं।इसके अतिरिक्त, अजय जायसवाल के पिता मेवालाल जायसवाल ने दिनांक 16.10.2019 को अजय पाण्डेय के खाता संख्या 4512749693 में 2,00,000/– रुपये हस्तांतरित किए हैं तथा उक्त राशि अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया है।इस संबंध में, दिनांक 17.07.2020 को अभियुक्त अजय पांडे के बैंक खाते का विवरण भी प्राप्त कर लिया गया है।डीआरआई के परिवाद के कंडिका संख्या 12 से 15, 21, 22 में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लिखित तथ्य अन्य फरार अभियुक्तगण से संबंधित हैं, इसलिए वर्तमान अभियुक्त के खिलाफ इस मामले के निराकरण के लिए असंगत हैं जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

11. जब्त ट्रक संख्या पीबी–12 क्यू–7045 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरटीओ गुरदासपुर (पंजाब) को दिनांक 01.05.2020 को एक ईमेल और दिनांक 05.06.2020 को एक पत्र भेजा गया था और जवाब में, दिनांक 30.06.2020 को आरटीओ गुरदासपुर ने जानकारी भेजी, जिसके अनुसार बलविंदर सिंह को उपरोक्त वाहन का मालिक पाया गया।दिनांक 28.02.2020 को, धरम सिंह के घर की तलाशी के लिए डीआरआई, लुधियाना जोनल यूनिट को एक पत्र लिखा गया था।जवाब में, डीआरआई, लुधियाना ने अपने पत्र दिनांक 22.06.2020 के माध्यम से सूचित किया कि तलाशी के दौरान उनके घर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।दिनांक 28.02.2020 को, अजय पांडे और रवि शंकर मिश्रा के घरों की तलाशी के लिए डीआरआई, लखनऊ को एक पत्र लिखा गया था, लेकिन डीआरआई, लखनऊ ने कोविड महामारी के कारण तलाशी नहीं ली।दिनांक 05.06.2020 को, बलदेव सिंह और बलविंदर सिंह के घरों की तलाशी के लिए डीआरआई, लुधियाना को एक पत्र लिखा गया था, लेकिन डीआरआई, अमृतसर द्वारा सूचित किए गए अनुसार उनके घरों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दिनांक 15.07.2020 को रायपुर के टाटीबंध स्थित आरडीआई कॉलोनी में बलविंदर के घर की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान कई पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट, शपथ पत्र, किरायानामा, विभिन्न वाहनों के एग्रीमेंट, विभिन्न वाहनों के दस्तावेज, विभिन्न व्यक्तियों की चेक बुक, विभिन्न वाहनों की आरसी, विभिन्न व्यक्तियों के पहचान पत्र, दो मोबाइल फोन, वाहन क्रमांक CG-10C-7364 की नंबर प्लेट और अन्य दस्तावेज मिले और इस संबंध में दिनांक 15.07.2020 का पंचनामा तैयार किया गया।पंचनामा कार्यवाही के दौरान बलविंदर ने अपना गलत नाम बताया और वहाँ से भागने का भी प्रयास किया।उक्त तलाशी में दो टेम्पर्ड इंजन नंबर प्लेट भी मिलीं।इसके बाद, बलविंदर से उसके वाहन क्रमांक पीबी-12Q-7045 के बारे में पूछा गया और जवाब में उसने बताया कि वाहन उसके घर के पास खड़ा है।इसके बाद, अधिकारी और पंच बलविंदर के साथ रिंग रोड क्रमांक 2 टाटीबंध, रायपुर में उसके ट्रक क्रमांक PB-12Q-7045 की जाँच करने गए, लेकिन वहाँ PB-12Q-7045 नंबर प्लेट वाला एक ट्रेलर ट्रक था, जिसका चेसिस क्रमांक MAT447221C3G19351 और इंजन क्रमांक 21G63273332 था।उक्त वाहन के केबिन की तलाशी लेने पर, वाहन क्रमांक PB-12Q-7045 के दस्तावेज मिले, जिनमें चेसिस क्रमांक और इंजन क्रमांक उक्त वाहन के समान ही थे।इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया था।वे बलविंदर को बयान दर्ज कराने के लिए डीआरआई कार्यालय ले आए, जहाँ उसने स्वेच्छा से अपना बयान दर्ज कराया, जिसका विवरण परिवाद के कंडिका क्रमांक 25 से 27 में पूर्ण रूप से उल्लिखित है।

13. अजय पांडे के दिनांक 19.02.2020 के बयान के आधार पर, उनके मोबाइल नंबर 9161392112, 8303502895, आरोपी धर्म सिंह के मोबाइल नंबर 8917320132, 8959266802, बलविंदर सिंह के मोबाइल नंबर 9340085880 के सीडीआर के साथ–साथ धारा 65 बी के तहत दिनांक 27.07.2020 का

प्रमाण पत्र कब्जे में लिया गया।उपरोक्त सीडीआर के अनुसार, अजय पांडे लगातार धर्म सिंह को टेलीफोन पर निर्देश दे रहे थे और बलविंदर सिंह भी उनके संपर्क में थे।

14. अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियुक्त अजय पांडे, धर्म सिंह, रविशंकर मिश्रा, बलविंदर सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी)(ii)(सी) और धारा 29 के तहत विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जांजगीर, जिला – जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।

15. फाइल पर रखी गई सामग्री के आधार पर, जब अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया गया, तो उन पर ऊपर बताए अनुसार आरोप लगाए गए।अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया तथा विचारण का दावा किया।

16. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित 11 साक्षीयों से परीक्षा किया है:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी सं	साक्षीयो का नाम	पदनाम
पीडब्लू1	रोशन कुमार गुप्ता	वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, डीआरआई
पीडब्लू2	गौरव पांडे	खुफिया अधिकारी, डी. आर. आई.
पीडब्लू3	संदीप कुमार	खुफिया अधिकारी, डी. आर. आई.
पीडब्लू4	वैभव ओझा	वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, डीआरआई
पीडब्लू5	डॉ. रामविजय शर्मा	तहसीलदार चंपा
पीडब्लू6	संतोष पांडे	प्रधान सिपाही, पी. एस. चंपा
पीडब्लू7	अज़ाज़ खान	खुफिया अधिकारी, डी. आर. आई.
पीडब्लू8	पवन कुमार डोंगरे	खुफिया अधिकारी, डीआरआई
पीडब्लू9	अंकित गुप्ता	स्वतंत्र साक्षी
पीडब्लू10	नितिन अग्रवाल	उप निदेशक
पीडब्लू11	प्रवीण कुमार मिश्रा	वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, डीआरआई

17. उपर्युक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेज और लेख भी प्रस्तुत किए हैं:––––

प्रदर्श सं.		दस्तावेज/लेखों की प्रकृति

प्रदर्श सं.		दस्तावेज/लेखों की प्रकृति
प्रदर्श पी 1		गुप्त सूचना रिपोर्ट, दिनांकित 18.02.2020
प्रदर्श पी 2		: – अजय जयस्वाल के घर तथा कार्यालय की तलाशी हेतु उप निदेशक, लखनऊ को पत्र दिनांक 19.02.2020।
प्रदर्श पी 3		एन. डी. पी. एस. की धारा 57 के तहत वरिष्ठ खुफिया अधिकारी को रिपोर्ट करें तथा आगे की अन्वेषण हेतु संदीप पांडे को अधिकृत करें।
प्रदर्श पी 3 A		: – अन्वेषण हेतु मामले की फाइल प्राप्त करने हेतु खुफिया अधिकारी संदीप पांडे द्वारा रसीद, दिनांक 26.02.2020,
प्रदर्श पी 4 (3 पृष्ठ)		: – खाता संख्या 428201501241 दिनांकित 06.05.2020 के लेनदेन विवरण के बारे में आईसीआईसीआई बैंक, विशाखापत्तनम के प्रबंधक को पत्र।
प्रदर्श पी 5		: – बलदेव सिंह के खाता संख्या 1192000100183727 तथा मनप्रीत सिंह के खाता संख्या 1192001500178722 के पते आदि हेतु शाखा प्रबंधक पी. एन. बी. को ईमेल के माध्यम से पत्र।
प्रदर्श पी 6(2 पृष्ठ)		: – बलदेव सिंह के ए/सी नंबर 1192000100183727 की जानकारी हेतु पी. एन. बी. गुरदासपुर के प्रबंधक को पत्र, दिनांक 06.05.2020।
प्रदर्श पी 7		: – इलाहाबाद बैंक, प्रतापगढ़ (यूपी) के प्रबंधक को ए/सी संख्या 59174876855 दिनांक 06.05.2020 का अनुस्मारक–1।
प्रदर्श पी 8 (2 पृष्ठ)		: – इलाहाबाद बैंक, प्रतापगढ़ (यूपी) के प्रबंधक को अनूप कुमार पांडे का ए/सी नंबर 59174876855 का पत्र, दिनांक 13.05.2020।
प्रदर्श पी 9(7 पृष्ठ)		: – अभियुक्त बलविंदर सिंह के घर की तलाशी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		के बारे में दिनांकित पंचनामा 15.07.2020
प्रदर्श पी 10 (2 पृष्ठ)		: – फोटो की प्रतियों के साथ आरोपी बलविंदर सिंह के वाहन की तलाशी के बारे में दिनांकित पंचनामा 15.07.2020
प्रदर्श पी 11 (प्रदर्श पी 1 के नीचे)		: – सदस्यों के विवरण के साथ छापा मारने वाले दल के गठन हेतु आदेश तथा गौरव पांडे की जब्ती अधिहेतुरी के रूप में नियुक्ति, दिनांक 18.02.2020
प्रदर्श पी 12		: – एन. डी. पी. एस. की धारा 50 के तहत धरम सिंह को नोटिस, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 13		: – एन. डी. पी. एस. की धारा 50 के तहत अजय पांडे को नोटिस, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 14		: – एन. डी. पी. एस. की धारा 50 के तहत रविशंकर मिश्रा को नोटिस, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 15(7 पृष्ठ)		दिनांक 18/19.02.2020 की पूरी मौके की कार्यवाही के बारे में पंचनामा
प्रदर्श पी 16		मलखाना–प्रभारी पी. एस. चंपादिनांक 19.02.2020 को 3:00 बजे गांजा को सुरक्षित रखने के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		01.03.2020
प्रदर्श पी– 35 तथा प्रदर्श पी–76		: – नमूना मुहर के साथ डी. आर. आई. के ज्ञापन संख्या 1/2020 का परीक्षण करें। (एफएसएल को भेजने हेतु) तथा (एफएसएल से प्राप्त)
प्रदर्श पी–36 (सी) तथा प्रदर्श पी– 38 (सी)	:–––	इंदौर कार्यालय/मालखाने के मालखाना रजिस्टर की प्रति, दिनांक 02.03.2020 आदि।
प्रदर्श पी–37		: – एफ. एस. एल. (सरकार) में नमूने न्यायालयीन कथन करने हेतु अज़ाज़ खान को

		प्राधिकरण पत्र। अफीम और क्षारीय कारखाने, नीमच), दिनांक 23.04.2020
प्रदर्श पी– 39		: – एफ. एस. एल. की रसीद (सरकारी। अफीम और क्षारीय कारखाने, नीमच) दिनांक 23.04.2020
प्रदर्श पी–40		: – एन. डी. पी. एस. की धारा 67 के तहत अजय जायसवाल को नोटिस, दिनांक 24.06.2020
प्रदर्श पी–41		: – एन. डी. पी. एस. की धारा 67 के तहत अजय जायसवाल को नोटिस, दिनांक 06.07.2020
प्रदर्श पी–42		: – अजय पांडे के ए/सी नंबर 4512749693 के विवरण हेतु प्रबंधक कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर को दिनांक 13.07.2020 का पत्र
प्रदर्श पी–43		: – उपरोक्त ए/सी विवरण के साथ प्रबंधक कोटक महिंद्रा बैंक का पत्र, दिनांक 16.04.2020।
प्रदर्श पी–43		: – श्री गंगारो के ए/सी संख्या 428201501241 के विवरण हेतु आईसीआईसीआई बैंक विशाखापत्तनम के प्रबंधक को पत्र।
प्रदर्श पी–44 (13 पृष्ठ)		: – श्री गंगारो के उपरोक्त ए/सी संख्या 428201201241 के विवरण के साथ आईसीआईसीआई बैंक का मेल
प्रदर्श पी–45 (29 पृष्ठ)		: – बलदेव सिंह के खाते ए/सी संख्या 1192000100183727 की जानकारी/विवरण उपरोक्त बैंक द्वारा डी. आर. आई. को दिया गया है।
प्रदर्श पी–46 (11 पृष्ठ)		: – इलाहाबाद बैंक द्वारा अनूप पांडे के ए/सी संख्या 59174876855 की जानकारी/विवरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी–47		: – अजय जायसवाल के ए/सी नंबर 919010009901782 के विवरण हेतु प्रबंधक एक्सिस बैंक लखनऊ को पत्र, दिनांक 29.07.2020
प्रदर्श पी–48 (11 पृष्ठ)		: – एक्सिस बैंक द्वारा दी गई अजय जायसवाल की ए/सी संख्या 9190100099,01782 की जानकारी/विवरण।
प्रदर्श पी–49 प्रदर्श पी–51 (21 पृष्ठ)		: – आर. टी. ओ. गुरुदासपुर द्वारा ई–मेल के माध्यम से बलविंदर सिंह के वाहन पी. बी. 12 क्यू7045 की जानकारी/विवरण।
प्रदर्श पी–50		: – वाहन पी. बी. 12. क्यू. 7045 के विवरण हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सिविल लाइन्स, कोटली नंगल गुरदासपुर, पंजाब, दिनांक 05.06.2020 को पत्र
प्रदर्श पी–52		: – अभियुक्त मनप्रीत सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 06.07.2020

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी53		: – अभियुक्त मनप्रीत सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 24.06.2020
प्रदर्श पी 54		: – अभियुक्त बलदेव सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 24.06.2020
प्रदर्श पी55		: – अभियुक्त बलदेव सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 06.07.2020
प्रदर्श पी 56		: – आरोपी बलविंदर सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 24.06.2020
प्रदर्श पी 57		: – आरोपी बलविंदर सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक

		06.07.2020
प्रदर्श पी 57		: – आरोपी बलविंदर सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 15.07.2020
प्रदर्श पी 58 (11 पृष्ठ)		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत बलविंदर सिंह का वक्तव्य, दिनांक 15/16.07.2020
प्रदर्श पी 59		: – भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र, दिनांक 16.07.2020, मोबाइल फोन नंबर 7587301326 और 8872122950 के कॉल विवरण और खाता विवरण प्रिंट आउट के बारे में, बलविंदर सिंह पिता दलबीर सिंह द्वारा जारी किया गया
प्रदर्श पी 60 (7 पृष्ठ)		: – बलविंदर सिंह के मोबाइल फोन के वाट्सऐप संदेश, दिनांक 20.06.2020
प्रदर्श पी 61 (28 पृष्ठ)		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत बलविंदर सिंह से ओपो कंपनी के दो मोबाइल फोन तथा लावा कंपनी के दो मोबाइल फोन जब्त करने का ज्ञापन।
प्रदर्श पी 62 तथा प्रदर्श पी 62 (A)		: – बलविंदर सिंह का गिरफ्तारी ज्ञापन, दिनांक 16.07.2020 और उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी
प्रदर्श पी 63 तथा प्रदर्श पी 64		: – बलविंदर सिंह की चिकित्सा परिक्षण हेतु आवेदन, दिनांक 17.07.2020 और एमएलसी
प्रदर्श पी 65		: – बलविंदर सिंह के बारे में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57 के तहत रिपोर्ट, दिनांक 16.07.2020
प्रदर्श पी 67		: – फोन नंबर 9161392112,8303502895 (दोनों अजय पांडे), 6305840419,8917320132,6371836419 (दोनों धरम सिंह)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		7751862263,9335867915,7081444808,9340085880 (बलविंदर), 8280891724,6281852864,8959166802,7587455988,9021 का कॉल स्टेटमेंट देने हेतु नोडल अधिकारी, रिलायंस जियो को पत्र 403733 दिनांकित 28.02.2020
प्रदर्श पी 67 तथा प्रदर्श पी 71		: टेलीफोन नंबरों की सीडीआर और सीएएफ रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 एक्स.पी–67 (86 पृष्ठ) में से 8303502895 अजय पांडे एक्स.पी–68 (266 पृष्ठ) में से 6305840419 बलदेव एक्स.पी–69 (13 पृष्ठ) में से 8917320132

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		धरम सिंह एक्स.पी–70 (99 पृष्ठ) में से 6371836419 डेविडा @ डेविड एक्स.पी–71 (152 पृष्ठ) में से 9340085880 बलविंदर सिंह
प्रदर्श पी 72		: – अभियुक्त धरम सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी73		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत धरम सिंह का वक्तव्य, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 4(सी)		: – मलखाना रजिस्टर प्रविष्टि, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 75 (सी)	: –––	नकाल रोजनामचा सांहा 44, पुलिस थाना चंपा, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 76		: प्रदर्श पी 35 के समान, एफ. एस. एल. द्वारा रिपोर्ट के साथ वापस भेजा गया।

प्रदर्श पी 77		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी अजय पांडे को समन, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 78		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपी रविशंकर मिश्रा को समन, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 79		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत अजय पांडे को वक्तव्य, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 80		: – एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत रविशंकर मिश्रा को वक्तव्य, दिनांक 19.02.2020
प्रदर्श पी 81		: – उप/सहायक आयुक्त सी. जी. एस. टी. तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग कोरबा को पत्र, दिनांक 18.02.2020
प्रदर्श पी 82 (7 पृष्ठ)		: – भांग की बरामदगी की कार्यवाही के बारे में स्थिति रिपोर्ट, दिनांक 27.02.2020 पर उप निदेशक, डी. आर. आई. को भेजी गई।
प्रदर्श पी 83 (5 पृष्ठ)		: – डी. आर. आई. लुधियाना के उप–निदेशक हेतु पत्र, दिनांक <आई. डी. 1] ताकि चहल, फरीदहेतुट में धरम सिंह के घर में तलाशी ली जा सके।
प्रदर्श पी 84 (5 पृष्ठ)		: – बलविंदर तथा बलदेव के घर की तलाशी हेतु उप निदेशक, डी. आर. आई., लुधियाना को दिनांक 05.06.2020 का पत्र
प्रदर्श पी 85 (2 पृष्ठ)		: – रायपुर में बलविंदर के घर में तलाशी के बारे में उप निदेशक, डी. आर. आई., रायपुर को दिनांक 1 का पत्र
प्रदर्श पी 86		: – अन्य फरार अभियुक्त व्यक्तियों के घर में तलाशी हेतु उप निदेशक, डी. आर. आई., विशाखापत्तनम को दिनांक 05.06.2020 का पत्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी 87		: – फरार आरोपी चोडिपिल्ली के घर में तलाशी हेतु उप निदेशक, डी. आर. आई., रायपुर को दिनांकित पत्र।
प्रदर्श पी 88		: – डी. आर. आई. विशाखापट्टनम से घटना की रिपोर्ट, दिनांक 24.06.2020
प्रदर्श पी 89		: – फरार आरोपी दबीदा कराड @डेविड के घर की तलाशी हेतु उप निदेशक, डी. आर. आई., भुवनेश्वर को दिनांक 05.06.2020 का पत्र।
प्रदर्श पी 90 (3 पृष्ठ)		: – डी. आर. आई., भुवनेश्वर द्वारा उप निदेशक, डी. आर. आई., रायपुर को दिनांक 17.07.2020 पर पत्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		(उपर्युक्त का उत्तर)
प्रदर्श पी 91		: – साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु उप निदेशक, डी. आर. आई., भोपाल को दिनांकित पत्र।
प्रदर्श पी 92		उपरोक्त पत्र के जवाब में नोडल अधिकारी, जियो से मोबाइल नंबरों के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी 93		अभियुक्त अजय पांडे द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र।
आर्टिकल 1 से 9		एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के तहत कार्यवाही के बारे में तस्वीरें।
आर्टिकल 10 से 17		:अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद/जब्त मोबाइल फोन

18. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद, अभियुक्तों के बयान दं. प्र. सं. कि धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें सभी अभियोगात्मक सामग्री उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और उनके उत्तर दर्ज करने के बाद, उन्होंने बचाव पक्ष में अपना पक्ष रखा, लेकिन उन्होंने अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 2 में उल्लिखित अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं अजय पांडे, धर्म सिंह और बलविंदर सिंह को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, तथापि, अभियुक्त रविशंकर मिश्रा को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।अतः, उपर्युक्त अपीलें और याचिकाएँ दायर की गई हैं।

20. अपीलकर्ता अजय पांडे के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल वाधवानी ने सीआरए संख्या 2234/2023 में तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।मुखबिर की सूचना साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाणित नहीं थी।उन्होंने तर्क दिया कि पीडब्लू–1, रोशन कुमार गुप्ता, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, रायपुर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जो हाथ से नहीं लिखी गई थी, बल्कि कम्प्यूटर टाइपिंग द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है कि कम्प्यूटर से लिखी गई मुखबिर सूचना किसने लिखी या कम्प्यूटर से मुद्रित की और यह धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र द्वारा भी प्रमाणित नहीं है, जिसके कारण मुखबिर की सूचना स्वयं संदेह से परे है। ये प्रमाणित नहीं हैं और बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव कि मुखबिर की सूचना प्रकरण की कार्यवाही के बाद चोपा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, अधिक संभावित प्रतीत होता है।उन्होंने आगे कहा कि मामले में भौतिक विसंगतियां हैं और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42, 55 और 57 का अनुपालन नहीं किया गया है और वाहन के मालिक से कोई अन्वेषण नहीं किया गया है।उन्होंने यह भी कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2) का विधिवत पालन नहीं किया गया है।रोशन कुमार गुप्ता एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी और एक राजपत्रित अधिकारी हैं और जब एक राजपत्रित अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपने किसी अधीनस्थ को नियुक्त कर सकता है, लेकिन, रोशन कुमार गुप्ता ने एक राजपत्रित अधिकारी होने के बावजूद, प्राप्त जानकारी की स्वयं जांच नहीं की और अपने अधीन किसी अधिकारी या कर्मचारी को आदेश नहीं दिया, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारी नितिन अग्रवाल को इसकी सूचना दी, जो कानून के अनुसार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. श्री वाधवानी ने तर्क दिया कि धारा 57 के तहत कार्यवाही कानून के अनुसार नहीं की गई थीःरोशन कुमार गुप्ता (अ.सा.–01) ने नितिन अग्रवाल (अ.सा.–10) को मुखबिर सूचना दी, तब नितिन अग्रवाल ने एक टीम गठित की और गौरव पांडे (अ.सा.–02) को जब्ती अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार जब्ती अधिकारी गौरव पांडे (अ.सा.–02) नितिन अग्रवाल (अ.सा.–10) के निर्देश पर कार्य कर रहे थे, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 20.02.2000 को अधिनियम की धारा 03 के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्ट नितिन अग्रवाल (अ.सा.–10) को न भेजकर थानाधिकारी रोशन कुमार गुप्ता (अ.सा.–01) को भेजी गई, जिन्हें दिनांक 26.02.2020 को सूचना प्राप्त हुई, जबकि जब्ती अधिकारी गौरव पांडे (अ.सा.–02) रोशन कुमार गुप्ता (अ.सा.–01) के निर्देश पर कार्य नहीं कर रहे थे और उसी दिन संदीप कुमार (अ.सा.–03) द्वारा केस डायरी तैयार की गई।इस प्रकार, अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट भेजना भी प्रमाणित नहीं है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्र.पी/15 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज पंच गवाहों के बयान अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नहीं हैं, बल्कि वे मामले के गवाहों, अंकित गुप्ता और मनीष राजहर द्वारा दिए गए शब्दों के अनुसार लिखे गए हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अंकित गुप्ता और मनीष राजहर के बयान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज किए गए या प्रमाणित किए गए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 55 का पालन नहीं किया गया और संपत्ति बदल दी गई:अन्वेषण अधिकारी गौरव पांडे (पीडब्लू–02) और पुलिस स्टेशन चोपा के मालखाना प्रभारी संतोष पांडे (पीडब्लू–06) दोनों ने कहा कि जब्त संपत्ति पर पुलिस स्टेशन चोपा की मुहर लगाकर 19.02.2020 को मालखाना में जमा नहीं किया गया था, जबकि नमूना पैकेट डॉ. राम विजय शर्मा, कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्लू–5) द्वारा निकाला गया था।उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया कि जिस बैग में कॉन्ट्रैबेंड जब्त किया गया है, उसके बारे में स्पष्ट विसंगतियां हैं, उपरोक्त कॉन्ट्रैबेंड अपीलकर्ता के एकमात्र कब्जे से जब्त नहीं किया गया था और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है और अपीलकर्ता की सजा विवेक के नियम के विपरीत है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में, अपीलकर्ता की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलकर्ता धरम सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने सीआरए संख्या 1989/2024 में तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष का मामला मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणित नहीं है, जो हस्तलिखित नहीं है, बल्कि कंप्यूटर में टाइप की गई है और अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने टाइप किया था और जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, और उक्त साक्ष्य यह साबित करने में विफल रहता है कि अपीलकर्ता अपराध का रचयिता है/उसने अपराध में भाग लिया है।उन्होंने आगे कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2), 42,55 तथा 57 का भौतिक विसंगतियां तथा अनुपालन है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था तथा साथ ही अपराध में शामिल वाहन के मालिक से कोई अन्वेषण रिपोर्ट एकत्र नहीं की गई थी, यहां तक कि राजपत्रित अधिकारी ने भी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् प्रक्रिया का संचालन नहीं किया था तथा न ही उन्होंने 22 हेतु किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया था।इसमें भौतिक विसंगतियां हैं और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2), 42, 55 और 57 का अनुपालन नहीं किया गया था, साथ ही अपराध में शामिल वाहन के मालिक से कोई जांच रिपोर्ट एकत्र नहीं की गई थी, यहां तक कि राजपत्रित अधिकारी ने सूचना प्राप्त करने के बाद भी प्रक्रिया का संचालन नहीं किया और न ही उन्होंने अन्वेषण। के लिए किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 57 के तहत आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट श्री नितिन अग्रवाल को नहीं बल्कि एसओ पीडब्लू–01 रोशन कुमार गुप्ता को भेजी गई थी, जबकि जब्ती अधिकारी गौरव पांडे हैं, जिन्होंने धारा 3 के अनुसार 20.02.2020 को अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसकी रिपोर्ट धारा 57, वही रोशन कुमार गुप्ता द्वारा 26.02.2020 को प्राप्त की गई और उसी दिन केस डायरी पीडब्लू–3 द्वारा तैयार की गई और इस तरह, रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर नहीं भेजी गई और प्रमाणित भी

नहीं की गई, जो अधिनियम की धारा 58 का पूरी तरह से गैर-अनुपालन है, अंत में, प्रदर्श पी/15 के अनुसार, पंचनामा-गवाह के 161 बयान किसी भी तरह से अधिकारी द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नहीं हैं और अंकित गुप्ता और मनीष राजहर का कोई सबूत नहीं है, न ही बयान दर्ज किया गया है और न ही न्यायालय में प्रमाणित किया गया है।धारा के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और जब्त संपत्ति में परिवर्तन किया गया, जांच अधिकारी गौरव पांडे ने 19.02.2020 को मालखाना में जमा नहीं किया, नमूना लेने के बाद पैकेट को डॉ. राम विजय शर्मा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बाहर निकाला गया और रायपुर में डीआरआई का मार्क बनाकर सील कर दिया गया और अब जब्ती स्थल से हटा दिया गया है।उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अपीलकर्ता केवल एक ड्राइवर था और अपने मालिक के निर्देश पर काम कर रहा था, इसलिए उसे कथित अपराध से दोषमुक्त किया जा सकता है।

23. अपीलकर्ता बलविंदर सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत रूपारेल ने सीआरए संख्या 2282/2023 में तर्क दिया है किविचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन किया और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी सामग्री पाए बिना उसे कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया।उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह भी देखने में विफल रहा कि वर्तमान अपीलकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और केवल इस तथ्य के आधार पर कि अपीलकर्ता वाहन का पंजीकृत मालिक है, उसे आरोपी के रूप में खड़ा किया गया है और कथित अपराध के लिए उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।अपीलकर्ता को अपने वाहन में गांजा के परिवहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास हैं, जिन्हें अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42, 50, 52, 52-ए, 55 और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। तलाशी और जब्ती की कार्यवाही में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ हैं और जांच अधिकारी के साक्ष्य में भी बड़ी विसंगति है। इसलिए, उसे कथित अपराध से बरी किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. दूसरी ओर, उत्तरवादी /डीआरआई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुमेह श्रीवास्तव ने संबंधित अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया गया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विद्वान निचली अदालत ने कथित अपराध के लिए अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए उन्हें उचित रूप से सजा सुनाई है।अपीलकर्ता धरम सिंह, पंजीकरण संख्या □□-12□-7045 वाले कथित ट्रक को चला रहा था, जिसका स्वामित्व अपीलकर्ता बलविंदर सिंह के पास था, जिससे भारी मात्रा में अर्थात लगभग 837.970 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था और अपीलकर्ता अजय पांडे पंजीकरण संख्या CG-04JB-8237 वाली स्कॉर्पियो में बैठा था, जिसे बरी किए गए अभियुक्त रविशंकर मिश्रा चला रहे थे। वे दोनों कथित ट्रक को चला रहे थे और उसे रास्ता दिखा रहे

थे। अपीलकर्ता अजय पांडे कथित गांजा ले जाते समय कथित ट्रक के चालक धरम सिंह के नियमित संपर्क में था।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि सभी अनिवार्य प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है, इसलिए जहां तक अपीलकर्ता धरम सिंह, अजय पांडे और बलविंदर सिंह की दोषसिद्धि का संबंध है, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय में कोई अनियमितता या त्रुटि नहीं है, तथापि, अभियुक्त रविशंकर मिश्रा को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने गंभीर अवैधता की है।

25. श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वीकार किया है कि जांच में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42, धारा 50, 55 और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी रविशंकर मिश्रा को बरी कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया रद्द किए जाने योग्य है।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि निचली अदालत ने माना है कि केवल आरोपी रविशंकर मिश्रा की मौजूदगी के आधार पर उसके खिलाफ कैनाबिस (गांजा) के परिवहन के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को खारिज कर दिया है कि रविशंकर मिश्रा मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अजय पांडे का चचेरा भाई था, जो उक्त अवैध कैनाबिस के परिवहन के लिए जिम्मेदार था।चूंकि रविशंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश से रवाना होने के समय से लेकर चंपा में महेंद्र स्कॉर्पियो में उनके पकड़े जाने तक लगातार अजय पांडे के साथ थे, जो कैनाबिस ले जाने वाले ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी और इस अवधि के दौरान उक्त कैनाबिस की योजना, लोडिंग और परिवहन हुआ, यह असंभव लगता है कि रविशंकर मिश्रा कैनाबिस के परिवहन के आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को अत्यंत सावधानी से पढ़ा है।

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोपनीय सूचना रिपोर्ट प्र.पी-1 कम्प्यूटर टाइपिंग में है और यह अभिलेख में नहीं आया है कि इसे किसने और कहाँ टाइप करवाया।किन्तु रोशन कुमार गुप्ता (अ.सा.-01) ने जिरह के दौरान कहा है कि उन्हें कार्यालय में फोन के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है, अतः यह सिद्ध हो गया है कि रोशन कुमार गुप्ता (अ.सा.-01) को गोपनीय सूचना टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई थी और उसके बाद, उन्होंने उक्त रिपोर्ट स्वयं टाइप की या किसी अन्य व्यक्ति से टाइप करवाई।

28. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र केवल कागज़ पर मुद्रित, ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यम में संग्रहीत, रिकॉर्ड की गई या प्रतिलिपि की गई, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(टी) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या जनित डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फ़िच में संग्रहीत, प्राप्त या प्रेषित छवि या ध्वनि। वर्तमान मामले में, रोशन कुमार गुप्ता (पीडब्लू-01) ने या तो स्वयं रिपोर्ट प्र.पी-1 टाइप की है या किसी अन्य

व्यक्ति से टाइप करवाई है और उसके बाद अपने हस्ताक्षर किए हैं।अतः, गुप्त सूचना रिपोर्ट प्र.पी–1 एक मूल शिकायत है न कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अतः उक्त रिपोर्ट को सिद्ध करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

29. यह स्वीकार किया जाता है कि , रोशन कुमार गुप्ता (पीडब्लू–01) ने अपनी जिरह के कंडिका 12 में कहा है कि वे किसी अन्य विभाग को भेजे गए या उससे प्राप्त पत्राचार (डाक) को कार्यालय में रखे रजिस्टर (आवाक–जावक पंजी) में दर्ज करते थे।लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अपनी जिरह के पैराग्राफ 11 में उन्होंने कहा है कि वे प्राप्त गुप्त सूचनाओं का कोई अभिलेख नहीं रखते हैं।इसलिए, उक्त सूचना को किसी भी रजिस्टर में दर्ज न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का कोई आधार नहीं है।

30. रोशन कुमार गुप्ता (पीडब्लू–01) ने आगे कहा है कि उन्होंने गोपनीय सूचना रिपोर्ट एक्स.पी–1 अपने वरिष्ठ अधिकारी नितिन अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत की थी।संयुक्त निदेशक नितिन अग्रवाल, जो (पीडब्लू–10) के रूप में उपस्थित हुए और अपने शपथ–पत्र में, उन्होंने रोशन कुमार गुप्ता (पीडब्लू–01) द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त होने के बारे में दिए गए कथन का विधिवत समर्थन किया है।उन्होंने यह भी बताया कि उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद, उन्होंने पत्र प्र.पी–11 के तहत आगे की कार्यवाही के लिए एक टीम गठित की है और किसी भी जब्ती की स्थिति में, श्री गौरव पांडे को जब्ती अधिकारी नियुक्त किया गया है।उनके बयान पत्र/नोट प्र.पी–11 द्वारा विधिवत समर्थित हैं, जिसके द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 09 सदस्यों की एक दल गठित की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (2) के अनुसार, "जहाँ किसी अधिकारी ने कोई सूचना लिखित रूप में दर्ज की है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्ष्य छिपाए बिना या अपराधी के भागने की सुविधा के बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे ऐसी सूचना की प्रति 72 घंटे के भीतर अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी चाहिए।"प्रस्तुत मामले में, रोशन कुमार गुप्ता (पीडब्लू–01) को दिनांक 18.02.2020 को प्रातः 10:05 बजे रायपुर स्थित अपने कार्यालय में गुप्त सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने इसे उसी दिन प्रातः 10:25 बजे अपने वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त निदेशक श्री नितिन अग्रवाल (पीडब्लू–10) को सौंप दिया। अतः एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, गुप्त सूचना प्र.पी–1 को उक्त सूचना प्राप्त होने के 72 घंटे की निर्धारित अवधि के भीतर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया गया है। अतः, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन सिद्ध हो गया है।

32. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान करती है, जिनका प्रयोग निम्नानुसार है:

[43.सार्वजनिक स्थान पर अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति–

धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी:–––––

(क) किसी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में, किसी भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को जब्त कर सकेगा जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, और ऐसी औषधि या पदार्थ के साथ, इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी किसी भी पशु या वाहन या वस्तु, किसी भी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जब्त कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या किसी भी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जब्त कर सकेगा जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी है; (ख) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति के पास कोई स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे गैरकानूनी प्रतीत होता है, तो उसे और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" शब्द में कोई भी सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए या जनता की पहुँच के लिए है।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. मामले के तथ्यों के साथ-साथ मामले में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वाहन को घाटोली चौक (चांपा) मुख्य सड़क के पास रोका जा रहा था।वाहन की जाँच करते समय, उसमें भांग (गांजा) पाया गया।यह स्वीकार किया जाता है कि सार्वजनिक स्थान यानी मुख्य सड़क पर बिना किसी पूर्व सूचना के इसकी जाँच की जा रही थी और उक्त भांग (गांजा) को रास्ते में जब्त/बरामद किया गया, जिसे आरोपी व्यक्ति अपने वाहन पर ले जा रहे थे।इसलिए, धारा 42 का पालन न करने का मुद्दा वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है और पुलिस प्राधिकारी नेएनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत कार्रवाई की है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43, जब घटनास्थल एक सार्वजनिक सड़क और जनता के लिए सुलभ था और सार्वजनिक स्थान के दायरे में आता था।

34. धारा 43 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के मद्देनजर, एनडीपीएस की धारा 42 लागू नहीं होती।

35. प्रतिबंधित पदार्थ रास्ते में बरामद और जब्त किया गया था।चूँकि धारा 43(ए) अर्थात "किसी भी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में ज़ब्ती" के अनुसार, स्कॉर्पियो वाहन में परिवहन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बरामद और ज़ब्त की गई थी, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 लागू होती है और इसलिए, तलाशी और ज़ब्ती करने से पहले अपराध के संबंध में विश्वास के कारण और लिखित रूप में प्राप्त जानकारी को दर्ज करना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

36. फिरदोसखान खुर्शीदखान बनाम गुजरात राज्यऔर अन्य के मामले में, दिनांक 30.04.2024 को 2024 एससीसी ऑनलाइन में प्रकाशित, एससी 680 ने कंडिका 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः "18.एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान से तलाशी और जब्ती से संबंधित है।जब तलाशी और ज़ब्ती किसी सार्वजनिक स्थान से की जाती है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे और इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि धारा 42(2) की आवश्यकता का पालन न करने से तलाशी और ज़ब्ती अमान्य हो जाती है। अतः, उक्त तर्क को अस्वीकार किया जाता है।

37. हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह एवं अन्यके मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2004 (5) एससीसी 188 में दी गई है, अपने निर्णय के कंडिका 9 और 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः :

"9. इसलिए, धारा 42 और 43 दो अलग–अलग स्थितियों पर विचार करती हैं। धारा 42 किसी भी इमारत, वाहन या बंद स्थान में प्रवेश और तलाशी से संबंधित है, जबकि धारा 43 किसी भी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में की गई जब्ती से संबंधित है।यदि धारा 42 के तहत सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच जब्ती की जाती है, तो उसके परंतुक की आवश्यकता का पालन करना होगा।अधिनियम की धारा 43 में ऐसा कोई परंतुक नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक वाहन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के परंतुक द्वारा अपेक्षित अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब टैंकर को रोका गया और तलाशी ली गई, तब वह सार्वजनिक राजमार्ग पर चल रहा था।अतः धारा 43 स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, तलाशी लेने वाले अधिकारी को धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।इसके अलावा, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधीक्षक भी तलाशी दल का सदस्य था।इस न्यायालय ने एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है :(2003) 8 एससीसी 449 में कहा गया है कि जहाँ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 के तहत कार्यरत एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं तलाशी ली जाती है, वहाँ धारा 42 की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था। इसी कारण से, इस मामले के तथ्यों में भी, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था।

38. कल्लू खान बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2021 (19) एससीसी 197 में अपने निर्णय के पैरा 12, 13 और 16 में दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः

12. सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को पकड़ने पर, मोटर साइकिल की तलाशी के दौरान, 900 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसके जब्ती और नमूना ज्ञापन तैयार किए गए, जैसा कि विभागीय गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया है।वर्तमान मामले के तथ्यों में, जहाँ वाहन से तलाशी और जब्ती की गई थी सार्वजनिक सड़क से संयोगवश बरामदगी के रूप में इस्तेमाल की गई शराब के मामले में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे।इस संबंध में, एस. के. राजू (सुप्रा) और एस. के. सक्कर (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों के आधार पर प्रणवीर सिंह (पीडब्लू 6) द्वारा की गई बरामदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

13. अब इस तर्क पर लौटते हैं कि अपराध के दौरान ज़ब्त की गई मोटर साइकिल अभियुक्त की नहीं है, हालाँकि मोटर साइकिल से प्रतिबंधित सामग्री की ज़ब्ती अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए नहीं जोड़ी जा सकती है।साक्षीयों, सिपाही प्रीतम सिंह (पीडब्लू 1), कांस्टेबल सरदार सिंह (पीडब्लू 2), एस.आई. प्रणवीर सिंह (पीडब्लू 6) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (पीडब्लू 8), जो गश्ती दल के सदस्य और ज़ब्ती के साक्षी थे, की कथन के मूल्यांकन पर, विचारण ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया कि जब वे गश्त पर थे, तो अपीलकर्ता ज़ब्त किए गए वाहन को विपरीत दिशा से चलाकर आया था। पुलिस वाहन को देखकर, उसने अपनी मोटर साइकिल वापस ले ली थी।हालाँकि, पुलिस दल ने अभियुक्त को पकड़ लिया और रोक लिया और वाहन की तलाशी ली, जिसमें वाहन की सीट के नीचे ज़ब्त की गई प्रतिबंधित स्मैक पाई गई।हालाँकि, सार्वजनिक स्थान पर तलाशी के दौरान, अभियुक्त द्वारा चलाए जा रहे मोटर साइकिल से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया गया।इस प्रकार, अपीलकर्ता की मोटर साइकिल से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी सार्वजनिक सड़क पर संयोगवश हुई बरामदगी थी।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी, किसी सार्वजनिक स्थान से, या किसी भी मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के परिवहन के दौरान अभियुक्त को जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है।उक्त अधिकारी तलाशी के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है, यदि मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का कब्ज़ा अवैध प्रतीत होता है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रक्रिया का पालन करने में कोई कमी या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के प्रति कोई विकृति नहीं दिखा पाए, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की है।उससे मोटर साइकिल की जब्ती उचित संदेह से परे साबित होती है, इसलिए वाहन के स्वामित्व का प्रश्न सुसंगत नहीं है।इसी तरह के तथ्यों के आधार पर, रिजवान खान (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि वाहन का स्वामित्व महत्वहीन है।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार और निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का भी पालन नहीं किया गया है क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता को उनकी तलाशी के अधिकार के बारे में पुलिस प्राधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया है। धारा 50 के प्रावधान अभियुक्तों की वर्तमान तलाशी पर लागू होते हैं, जबकि वर्तमान मामले में वाहन से बरामद किया गया भांग (गांजा) अभियुक्तों का है, जिसे उनकी व्यक्तिगत तलाशी नहीं कहा जा सकता है।किसी वाहन की तलाशी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आती है और किसी व्यक्ति की तलाशी किसी भी वाहन आदि की तलाशी से अलग होती है।कल्लू खान (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन की तलाशी में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता पर भी विचार किया है। कंडिका 16 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

"16 इसके साथ ही, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार हैं क्योंकि अभियुक्त के पास से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जिसके लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल की तलाशी के दौरान, जैसा कि पता चला है, प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती की गई थी।इसलिए, वर्तमान मामले में धारा 50 का अनुपालन लागू नहीं होता है। विजयसिंह (सुप्रा) के मामले में यह तय है कि केवल व्यक्तिगत तलाशी के मामले में, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन वाहन के मामले में नहीं, जैसा कि वर्तमान मामले में, सुरिंदर कुमार (सुप्रा) और बलजिंदर सिंह (सुप्रा) के निर्णयों के अनुसार किया गया है।इस न्यायालय के तथ्यों पर विचार करते हुए, अधिवक्ता द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन न किए जाने के तर्क को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. **पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 1999 (6) एससीसी 172** में दी गई थी, अपने निर्णय के पैरा 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:

12. साधारण शब्दों में, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में ही लागू होगी, जो किसी परिसर आदि की तलाशी से भिन्न है। हालाँकि, यदि सशक्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 के अनुसार पूर्व सूचना दिए बिना, किसी अपराध या संदिग्ध अपराध की सामान्य जाँच के दौरान तलाशी लेता है या व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उस तलाशी के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद होती है, तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएँ लागू नहीं होंगी।"

41. **कुलविंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में,जिसकी रिपोर्ट 2015 (6) एससीसी 674 में दी गई थी,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 18 और 21 में यहअभिनिर्धारित किया गया है कि:
18. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में, यह निर्णय दिया गया है कि "कब्ज़ा" शब्द सभी विधियों के संदर्भ में सार्वभौमिक अनुप्रयोग की सटीक और पूर्ण तार्किक परिभाषा के योग्य नहीं है।

हाल ही में, मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य 11 में, कुछ प्राधिकारियों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

"21. विधि की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजन के लिए "कब्ज़ा" शब्द का अर्थ द्वेष के साथ भौतिक कब्ज़ा, द्वेष के साथ निषिद्ध पदार्थ पर अभिरक्षा या प्रभुत्व, या यहाँ तक कि छिपाने के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग भी हो सकता है। द्वेष और मानसिक इरादा, जो कब्ज़ा दिखाने और स्थापित करने के लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण तत्व है।इसके अलावा, किसी विशेष स्थान या स्थल पर, प्रासंगिक समय पर, "संपत्ति" अर्थात अवैध पदार्थ के अस्तित्व के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान और उस ज्ञान पर आधारित इरादा, अद्वितीय संबंध और स्पष्ट कब्ज़ा स्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में, कब्ज़ा की उपस्थिति और अस्तित्व को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि इरादा पदार्थ या संपत्ति पर अधिकार का प्रयोग करना और दूसरों को छोड़कर मालिक के रूप में कार्य करना है।

22. इस मामले में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता के पास उस समय भी अपेक्षित नियंत्रण था, भले ही उक्त मादक पदार्थ उस समय उसके भौतिक नियंत्रण में न हो।उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में प्रतिबंधित मादक पदार्थ छिपा सकता है और उसके बाद वहाँ से निकल सकता है। उक्त व्यक्ति आवश्यक द्वेष के कारण उक्त पदार्थ को अपने कब्ज़े में रख सकता है, भले ही वह उस समय भौतिक रूप से उस पर नियंत्रण न रखता हो।जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छिपाता है, तो स्थिति को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है।दूसरी श्रेणी के मामलों में, व्यक्ति के पास पदार्थ इसलिए होगा क्योंकि उसके पास आवश्यक द्वेष है और वह उस पर नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने का इरादा रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:
"10. हम यहाँ "व्यक्ति" शब्द की व्यापक परिभाषा से चिंतित नहीं हैं, जिसमें कानूनी दुनिया में निगम, संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है क्योंकि वास्तव में इस प्रकार के मामलों में उनके परिसर की तलाशी ली जा सकती है, न कि उनके व्यक्ति की।अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें धारा में इसका उपयोग किया गया है, इसका स्वाभाविक रूप से अर्थ एक मानव या एक जीवित व्यक्तिगत इकाई है, न कि एक कृत्रिम व्यक्ति।इस शब्द को व्यापक सामान्य ज्ञान के आधार पर समझा जाना चाहिए, इसलिए इसका अर्थ किसी मानव का नग्न या निर्वस्त्र शरीर नहीं, बल्कि वह तरीका है जिससे एक सभ्य समाज में एक सामान्य मानव विचरण करता है।इसलिए, "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है – "मानव शरीर जिसे आमतौर पर उसके उपयुक्त आवरणों और कपड़ों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है"। एक सभ्य समाज में उपयुक्त आवरणों और कपड़ों को अत्यंत आवश्यक माना जाता है और कोई भी समझदार इंसान बिना उपयुक्त आवरणों और कपड़ों के दूसरों की नज़रों में नहीं आता है। उपयुक्त आवरणों में जूते-चप्पल भी शामिल होंगे क्योंकि आमतौर पर इन्हें घर से बाहर जाते समय पहनना एक आवश्यक वस्तु माना जाता है।ऐसे उपयुक्त आवरण, वस्त्र या जूते, पहनने के बाद, बिना किसी उल्लेखनीय या

अतिरिक्त प्रयास के मानव शरीर के साथ चलते हैं।एक बार धारण कर लेने के बाद, वे सामान्यतः मानव शरीर से तब तक अलग नहीं होते जब तक कि उस दिशा में कोई विशेष प्रयास न किया जाए। इस प्रावधान की व्याख्या के लिए, कुछ धार्मिक साधु-संतों के दुर्लभ मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढकते। अतः, 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ उचित आवरण, वस्त्र और जूते पहने हुए मानव होगा।

11. किसी भी परिस्थिति में बैग, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि को मानव शरीर नहीं माना जा सकता है।इन्हें एक अलग नाम दिया गया है और इसी रूप में इनकी पहचान की जा सकती है। इन्हें दूर-दूर तक मानव शरीर का अंग नहीं माना जा सकता है।इन्हें दूर-दूर तक मानव शरीर का अंग नहीं माना जा सकता है।एक व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन का डिब्बा, थैला, झोले, गठरी, होल्डऑल, कार्टन आदि विभिन्न आकार, माप या वजन की कोई भी वस्तुएँ उठा सकता है। हालाँकि, इन्हें ले जाते या साथ चलते समय कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन्हें या तो हाथ से उठाना होगा, या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा। आम बोलचाल में यह कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को ले जा रहा है, और यह निर्दिष्ट करता है कि उसे किस प्रकार ले जाया गया है, जैसे हाथ, कंधा, पीठ या सिर, आदि। इसलिए, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में प्रयुक्त "व्यक्ति" शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया अगला निवेदन यह है कि जब्त की गई वस्तुओं से नमूने लेने के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र 1/89 का अनुपालन नहीं किया गया है।इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पर्याप्त गैर-अनुपालन हुआ है और अपीलकर्ता दोषमुक्ति किए जाने के हकदार हैं।

43. हाल ही में भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 250/2025, दिनांक 06.01.2025 के आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री विश्वास पैदा करती है और अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और कब्जे दोनों के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाई के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

44. वर्तमान मामले में पूरी तलाशी और जब्ती कार्यवाही वास्तविक पाई गई है और पुलिसकर्मियों द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है।स्वतंत्र साक्षीयों ने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है कि जब वाहन को रोका गया तो उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए पाए गए, उन्होंने अपना नाम बताया, वाहन की जांच करने पर उसमें 157 पैकेट पाए गए जिनमें भांग (गांजा) पाया गया जो उनके कब्जे में पाया गया।तहसीलदार/कार्यकारी

मजिस्ट्रेट द्वारा भांग (गांजा) की जब्ती, उसका वजन और नमूना लेना सिद्ध कर दिया गया और उनके साक्ष्यों पर अविश्वास करने लायक कोई भी प्रतिकूल बात नहीं पाई गई, जिससे यह और भी साबित होता है कि अपीलकर्ता के वाहन में इतनी बड़ी मात्रा में भांग (गांजा) पाया गया था। अपीलकर्ता अपने मामले को साबित करने के लिए कोई ठोस आरोप नहीं लगा सकता है कि एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी–33) आगे यह साबित करती है कि भांग (गांजा) की कुल मात्रा से लिए गए भांग (गांजा) के नमूने के पैकेट में भांग (गांजा) की मात्रा पाई गई और यह अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करता है।

45. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अंकित गुप्ता (पीडब्लू–9) डीआरआई का फर्जी गवाह है क्योंकि वह मौके पर मौजूद नहीं था और पंचनामा प्र.पी–15 पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। उसे सीजीएसटी कोरबा के अधिकारियों ने न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए भेजा था। उसने 850 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद होने की बात कही है। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, लेकिन वह अभियुक्तों को उनके नाम से नहीं पहचान सका। पंचनामा प्र.पी–15 और न्यायालय में दर्ज बयान पर उसके हस्ताक्षर अलग–अलग हैं।वह गौरव पांडे और नितिन अग्रवाल को उनके फोटोग्राफ में भी नहीं पहचान सका।उसका बयान पंचनामा प्र.पी–15 में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत है और वह यह नहीं बता सका कि पंचनामाकिसके द्वारा तैयार किया गया था।इस प्रकार, साक्षी का बयान एक स्थापित साक्षी की तरह है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई क्योंकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और माना गया है, अभियोजन पक्ष ने छापा मारने वाली दल में अंकित गुप्ता (पीडब्लू–09) और मनीष राजभर को शामिल करना सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने बयान के दौरान गौरव पांडे और नितिन अग्रवाल को उनके फोटोग्राफ से और अभियुक्तों को उनके नामों से नहीं पहचान सका, लेकिन केवल इसी कारण से उसे प्लांटेड गवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने उन्हें केवल घटना के दिन ही देखा था और उसकी गवाही घटना के ढाई साल से अधिक समय बाद दर्ज की गई है और इतने लंबे समय के बाद अभियुक्तों और अधिकारियों को न पहचानना, खासकर जब वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, बिल्कुल सामान्य है।बयान पत्र पर अंकित गुप्ता (पीडब्लू–09) के 11 हस्ताक्षर हैं और स्पष्टतः उन हस्ताक्षरों में कुछ अंतर है, इसलिए पंचनामा प्र.पी–15 पर संलग्न उनके हस्ताक्षर पर संदेह नहीं किया जा सकता है, भले ही बयान पत्र पर संलग्न हस्ताक्षरों से कुछ अंतर पाया जाए।अतः इस मामले की कार्यवाही के समय इस गवाह की मौके पर उपस्थिति संदेह से परे सिद्ध होती है।

47. आसूचना अधिकारी गौरव पांडे (पीडब्लू–02) ने आगे बताया कि उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के नाम शामिल करने के बाद, वे घाटोली चौक से लगभग 200 मीटर दूर प्रकाश इंडस्ट्रीज की ओर गए और उक्त वाहन का इंतजार करने लगे।थोड़ी देर बाद, एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका पंजीकरण क्रमांक □□–70□□–

2656 था, वहाँ पहुँची।उक्त वाहन में दो व्यक्ति सवार थे, जिन्हें रोककर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अजय पांडे और रविशंकर मिश्रा बताया।रविशंकर मिश्रा उक्त वाहन का चालक था।5–10 मिनट बाद, एक ट्रक पंजीकरण संख्या पीबी–12 क्यू–7045, जिसे धरम सिंह चला रहा था, वहाँ पहुँचा। गौरव पांडे ((पीडब्लू–02) का समर्थन वैभव ओझा (पीडब्लू–4, पवन कुमार डोंगरे (पीडब्लू–8, स्वतंत्र साक्षी अंकित गुप्ता (पीडब्लू–9) और नितिन अग्रवाल(पीडब्लू–10) द्वारा किया गया है क्योंकि उन्होंने लगभग वही तथ्य बताए हैं जो उसने बताए हैं।

48. खुफिया अधिकारी गौरव पांडे पीडब्लू–02 ने आगे बताया कि उन्होंने उक्त ट्रक की जाँच की और पाया कि ट्रेलर के फर्श (ट्रक का खुला पिछला भाग) की मोटाई सामान्य से अपेक्षाकृत अधिक थी।इसलिए उन्होंने पिछले हिस्से से लोहे की चादर हटाई, जो पिछले टायरों के ऊपर लगी थी, और खुले स्थान (अर्थात पिछले हिस्से की दो मंजिलों के बीच) में रखी ट्रे में भांग जैसा पदार्थ पाया। आरोपियों से पदार्थ के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह भांग है। इसके बाद, वे आरोपियों और वाहनों को पुलिस थाना, चांपा ले आए क्योंकि जान को खतरा था। वैभव ओझा पीडब्लू–4, पवन कुमार डोंगरे पीडब्लू–8 और नितिन अग्रवाल पीडब्लू–10 ने भी उनका समर्थन किया क्योंकि उन्होंने लगभग वही तथ्य बताए हैं जो उन्होंने बताए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. आरोपियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया होगा कि गुप्त सूचना एक्स.पी–1 एक ट्रक के संबंध में थी, लेकिन दल द्वारा रोका गया वाहन एक ट्रेलर था, इसलिए अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध है।लेकिन यह न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि उपरोक्त गुप्त सूचना प्र.पी/1 –1 मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर आधारित थी और जब छापा मारने वाले दल द्वारा रोका गया तो मौके पर ट्रक के स्थान पर ट्रेलर पाया गया था। इसके अलावा, गुप्त सूचना में दिए गए वाहन का पंजीकरण क्रमांक, मौके पर रोके गए वाहन के पंजीकरण क्रमांक के समान है।किसी भी साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्तों ने कहीं भी यह नहीं बताया कि छापा मारने वाली पार्टी द्वारा रोके गए वाहन का पंजीकरण क्रमांक पीबी–12 क्यू–7045 नहीं था। इसलिए, वाहन के विवरण, यानी ट्रक और ट्रेलर, में केवल अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

50. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया होगा कि डीआरआई के अधिकारियों ने घाटोली चौक की कार्यवाही के बारे में न तो पंचनामा तैयार किया है, न ही उक्त स्थान का साइट–प्लान तैयार किया है, न ही घाटोली चौक पर धरम सिंह के वाहन के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं, न ही अभियुक्तों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया है, न ही अभियुक्तों के बयान दर्ज किए हैं और न ही घाटोली चौक पर वाहन की तलाशी के लिए कोई नोटिस दिया है, इसलिए कार्यवाही संदिग्ध है। विद्वान ट्रायल कोर्ट इन तर्कों से भी सहमत नहीं हुआ है क्योंकि गौरव पांडे पीडब्लू 2 के प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभियुक्तों ने सुझाव दिया है कि घटना की दिनांक पर उपरोक्त वाहन घाटोली चौक, चांपा में पार्किंग में लावारिस खड़ा था और अभियुक्त धरम सिंह, जो दूसरे वाहन से घाटोली चौक पहुंचा है, घाटोली चौक पर अपना वाहन पार्क करने के बाद वहां पैदल जा रहा था और फिर उसे जब्त वाहन के चालक के भ्रम में गिरफ्तार कर लिया

गया।विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव स्वयं ही साबित करते हैं कि सारी कार्यवाही घाटोली चौक पर हुई थी।

51. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बालू सुदाम खालदे बनाम महाराष्ट्र राज्य,** दाण्डिक अपील संख्या 1910/2010, 29.03.2023 को निर्णीत मामले में कहा है कि, "यदि प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा साक्षी को दिया गया सुझाव किसी भी तरह से दोषसिद्ध प्रकृति का पाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से अभियुक्त को बाध्य करेगा और अभियुक्त इस तर्क पर बच नहीं सकता कि उसके अधिवक्ता के पास अपने मुवक्किल के खिलाफ स्वीकारोक्ति की प्रकृति में सुझाव देने का कोई निहित अधिकार नहीं था।" अतः, विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझाव ही यह साबित करते हैं कि पंजीकरण संख्या PB–12Q-7045 वाले वाहन को कब्जे में ले लिया गया था और आरोपी धर्म सिंह को शिकायतकर्ता के अधिकारियों द्वारा घाटोली चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया था।अतः, गतौली चौक पर पंचनामा, स्थल–योजना न बनाना, दस्तावेजों की जब्ती न करना, नोटिस न देना आदि वर्तमान मामले में घातक नहीं है।

52. इस मामले के जब्ती अधिकारी/जांच अधिकारी गौरव पांडे पीडब्लू–2 ने आगे बताया कि वाहन ट्रक पंजीयन क्रमांक PB-12Q-7045 की पुलिस थाना चांपा में तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान उक्त वाहन के पिछले हिस्से में 9 ट्रे मिले, जिनमें से 8 ट्रे गांजे के पैकेटों से भरे थे और 1 खाली था। उक्त ट्रक के टूल–बॉक्स में भी कुछ पैकेट मिले।पहले एक पैकेट को खोलकर "नारकोटिक्स डिटेक्शन किट" की मदद से जांच की गई।उक्त जांच में पैकेट में गांजा की पुष्टि हुई, इसलिए सभी 157 पैकेटों को काटकर उपरोक्त किट से जांच की गई।जांच करने पर उन सभी 157 पैकेटों में गांजा पाया गया।इसके बाद, प्रत्येक पैकेट का वजन किया गया और वजन करने पर प्रत्येक पैकेट का वजन 5 किलोग्राम से अधिक पाया गया और सभी 157 पैकेटों का कुल वजन 837.97 किलोग्राम पाया गया।सभी पैकेटों के टुकड़ों पर टेप चिपकाया गया और "P-1" से "P-157" तक चिह्नित किया गया।उपर्युक्त साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन अभियुक्त ने न तो 157 पैकेट गांजे की बरामदगी पर और न ही उन पैकेटों में 837.97 किलोग्राम गांजे की कुल मात्रा पर सवाल उठाया क्योंकि न तो कोई जिरह हुई और न ही उन तथ्यों के बारे में कोई सुझाव दिया गया, इसलिए यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि उन्होंने विनोद कुमार के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानून के आधार पर उक्त ट्रक से कुल 837.97 किलोग्राम गांजा की बरामदगी स्वीकार की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. वैभव ओझा पीडब्लू–4, पवन कुमार डोंगरे पीडब्लू–8 और नितिन अग्रवाल पीडब्लू–10 ने गौरव पांडे पीडब्लू–2 का विधिवत समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने भी उक्त ट्रक में बने गड्ढों में रखी ट्रे से 157 पैकेटों में कुल 837.97 किलोग्राम गांजा बरामद होने की बात कही है और प्रतिपरीक्षा व सुझावों के अभाव में उनके साक्ष्य भी अप्रतिबंधित रहे हैं।

54. निःसंदेह, स्वतंत्र साक्षी अंकित गुप्ता अभियोगी–9 ने कहा है कि संभवतः उक्त ट्रक से 156 पैकेट या उससे अधिक बरामद किए गए हैं और गांजा की कुल मात्रा 850 किलोग्राम से अधिक थी, लेकिन यह भी

उतना ही सत्य है कि साक्षी की मुकदमेबाजी में कोई रुचि नहीं थी और वह केवल डीआरआई के अधिकारियों के अनुरोध पर साक्षी बना था, इसलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह इस मामले के प्रत्येक सूक्ष्म विवरण को याद रखेगा।इसके अलावा, उक्त ट्रक से 157 पैकेटों में कुल 837.97 किलोग्राम गांजा की बरामदगी अन्य गवाहों द्वारा साबित की गई है और उन साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त बरामदगी पर विवाद नहीं किया गया है, इसलिए साक्षी अंकित गुप्ता पीडब्लू 9 के बयान के कारण बरामदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।इसलिए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने छापे के समय ट्रक पंजीकरण संख्या पीबी–12 क्यू–7045 से कुल 157 पैकेटों में कुल 837.97 किलोग्राम गांजा की बरामदगी को संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

55. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या छापे के समय अभियुक्त धर्म सिंह उक्त वाहन जिसका पंजीकरण क्रमांक पी.बी.–12 क्यू–7045 है, चला रहा था।

56. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त धर्म सिंह को उक्त ट्रक चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसमें कुल 837.97 किलोग्राम गांजा था।दूसरी ओर, बचाव पक्ष के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त धर्म सिंह उक्त वाहन नहीं चला रहा था और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. अभियुक्त धर्म सिंह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उससे ट्रक पंजीकरण संख्या पीबी–12 क्यू–7045 चलाने के बारे में प्रश्न संख्या 20 पूछा गया।उक्त प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने केवल "इकेवे उघ" कहा है।अभियुक्त धरम सिंह द्वारा दिया गया उपरोक्त उत्तर ही इस न्यायालय को यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है कि छापे के समय वह उक्त वाहन चला रहा था, क्योंकि यदि वह उक्त वाहन नहीं चला रहा होता, तो स्पष्टतः वह अपनी गिरफ्तारी के स्थान और तरीके के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देता।इसलिए, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित कर दिया है कि आरोपी धरम सिंह छापे के समय पंजीकरण संख्या पीबी–12 क्यू–7045 वाले वाहन में कुल 837.970 किलोग्राम भांग (गांजा) ले जा रहा था।

58. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस थाना चांपा के एस.एच.ओ. ने मालखाना में जमा करने से पहले जब्त गांजा पर अपनी सील नहीं लगाई है, लेकिन केवल इसी कारण से आरोपी व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उक्त सील का उद्देश्य केवल गिरफ्तार व्यक्तियों के हित में जब्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करना है।इस मामले में, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता है कि भांग के सीलबंद पैकेटों को भौतिक सत्यापन से पहले मालखाने से बाहर निकाला गया था।तहसीलदार रामविजय शर्मा, अभियोग संख्या 5 ने भी कहा है कि भांग के सीलबंद पैकेटों पर डीआरआई की सील बरकरार थी, जिससे यह साबित होता है कि पैकेट मालखाने में सीलबंद रखे गए थे।इसलिए, केवल एस.एच.ओ. की सील का न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

59. आसूचना अधिकारी गौरव पांडे पीडब्लू2 ने आगे बताया कि दिनांक 19.02.2020 को उन्होंने तहसीलदार (जो छत्तीसगढ़ में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं) को जब्त गांजा के भौतिक सत्यापन के लिए पत्र प्र.पी–26 लिखा है और साथ ही मालखाना से नमूने लेने के लिए थाना चांपा के मालखाना प्रभारी को पत्र प्र.पी–27 लिखा है।इस पत्र पर तहसीलदार ने जब्त पैकेटों की सील हटाई और गांजा और ट्रक की तस्वीरें लीं, जो अनुच्छेद–1 से 9 के अंतर्गत हैं।इसके बाद, तहसीलदार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत प्रत्येक पैकेट से 30 ग्राम के दो नमूने लिए और इस संबंध में सूची प्र.पी–28 तैयार की।तहसीलदार ने शेष भांग के पैकेट तथा प्रत्येक नमूने को सील कर दिया।नमूनों को पी1–एस 1 से पी157–एस 1 और अन्य नमूनों को पी1–एस 2 से पी157–एस 2 तक चिह्नित किया गया था।इस संबंध में सूची प्र.पी–29 तैयार की गई थी।संतोष पांडे पीडब्लू 6 ने विधिवत रूप से उनका समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि दिनांक 18.02.2020 को गौरव पांडे प्र.पी–27 के पत्र के आधार पर, उन्होंने मालखाना से भांग निकाल ली है और भौतिक सत्यापन के बाद उन्हें पत्र प्र.पी–30 के आधार पर मालखाना में रख दिया है। तहसीलदार डॉ. राम विजय शर्मा अभि0 सा0 5 के रूप में उपस्थित हुए तथा अपने शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि दिनांक 19.02.2020 को उन्हें बरामद गांजे के भौतिक सत्यापन हेतु पत्र प्र.पी–27 प्राप्त हुआ था, जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने थाना चांपा जाकर भौतिक सत्यापन कराया था।तौल करने पर गांजे का वजन 837.970 किलोग्राम पाया गया।कार्यवाही के फोटोग्राफ लिए गए, जो अनुच्छेद–1 से 9 तक हैं।उन्होंने प्रत्येक पैकेट से 30 ग्राम के दो नमूने लिए हैं और पहले नमूने पर पी1–एस 1 से पी–157–एस 1 और अन्य नमूनों पर पी1–एस 2 से पी157–एस 2 अंकित किए गए हैं और उनके कार्यालय की मुहर लगाई गई है। उन्होंने सूची तैयार की है और प्रमाण पत्र प्र.पी-28A दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

61. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए (2) के प्रावधानों को सरलता से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान जब्ती की प्रक्रिया और तरीके, जब्त सामग्री की सूची तैयार करने, जब्त सामग्री को अग्रेषित करने और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सूची को प्रमाणित कराने का प्रावधान करते हैं।इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि जब्त किए गए पदार्थ की सूची या फोटोग्राफ या उससे संबंधित नमूनों की कोई सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने पर मान्य होगी।इसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट को या तो सूची की सत्यता प्रमाणित करनी होगी या अपनी उपस्थिति में लिए गए फोटोग्राफ को सत्य प्रमाणित करना होगा या अपनी उपस्थिति में ऐसे औषधियों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देनी होगी और नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित करनी होगी।

62. इस मामले में, मजिस्ट्रेट–सह–तहसीलदार अभि.सा.5 ने भांग का वजन किया, धारा 1 से 9 तक के फोटो लिए और प्रमाण पत्र प्र.सा.पा.–28 ए द्वारा सूची प्र.सा.पा.–28 की सत्यता प्रमाणित की। सूची की सत्यता के बारे में केवल प्रमाण पत्र प्र.सा.पा.–28 ए ही धारा 52 ए का अनुपालन करता है। अतः, इस संबंध में अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की कार्यवाही मनगढ़ंत है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट राम विजय शर्मा अभि.सा.5 ने खुले पैकेटों की तस्वीरें नहीं ली हैं, गौरव पांडे द्वारा नमूने नहीं लिए गए हैं, अभियुक्तों के समक्ष नमूने नहीं लिए गए हैं आदि का कोई आधार नहीं है।

अतः, अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए का अनुपालन सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है।

63. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 (1) के अनुसार, "धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।"

64. प्रस्तुत मामले में, गौरव पांडे अभि.2 ने कहा है कि दिनांक 19.02.2020 को उन्होंने अभियुक्त अजय पांडे, रवि शंकर और धर्म सिंह को क्रमशः गिरफ्तारी ज्ञापन प्र.पी-17 से प्र.पी-19 के माध्यम से गिरफ्तार किया है और उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया है। संदीप कुमार अभि.3 ने कहा है कि दिनांक 16.07.2020 को उन्होंने अभियुक्त बलविंदर को गिरफ्तारी ज्ञापन प्र.पी-62 के माध्यम से गिरफ्तार किया है।उपरोक्त ज्ञापनों के अनुसार, उपरोक्त नामित अभियुक्तों को गिरफ्तारी के कारणों का भी खुलासा किया गया है।इसके अलावा, उपरोक्त साक्षीयों से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन अभियुक्तों ने प्रतिपरीक्षा के दौरान उपरोक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया, इसलिए यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि उन्होंने तथ्यों को सही माना है।इसलिए, अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(1) के अनुपालन को साबित कर दिया है। वैसे भी, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(1) का अनुपालन अनिवार्य नहीं है और प्रकृति में निर्देशात्मक है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2001 एससी 1002 के मामले में फिर से अभिनिर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65. गौरव पांडे पीडब्लू2 ने आगे कहा है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी श्री रोशन कुमार गुप्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के तहत रिपोर्ट एक्स.पी-3 के माध्यम से सूचित किया है। रिपोर्ट एक्स.पी-3 दिनांक 20.02.2020 को रोशन कुमार गुप्ता को दिनांक 26.02.2020 को प्राप्त हुई है क्योंकि इस पर उनके हस्ताक्षर और मुहर हैं।अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया होगा कि धारा 57 का अनुपालन कानून के अनुसार नहीं है क्योंकि इसे कार्यवाही के 48 घंटों के भीतर नहीं भेजा गया है।

66. निस्संदेह, एनडीपीएस की धारा 57 के तहत रिपोर्ट कार्यवाही के लगभग 6 दिन बाद भेजी गई है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है और अभियुक्तों को कोई लाभ नहीं पहुँचाती है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह,एआईआर 1994 एससी 1872 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं।इसलिए, यह न्यायालय इस संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क से संतुष्ट नहीं है।

67. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, दाण्डिक अपील संख्या 152/2013, 29 अक्टूबर, 2020 को निर्णीत, में कहा है, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।हालाँकि,

मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अत्यधिक ज़ोर अपराधियों की गिरफ्तारी में एक बड़ी बाधा बन सकता है।एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों में, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।हज़ारों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है।" इसलिए, यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में कोई त्रुटि है, तब भी न्यायालय का मानना है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया अनुपालन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

68. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1393/2010, 17 अप्रैल, 2015 को निर्णीत, में कहा है,**

"कानून, सामान्यतः, दो प्रकार के कब्जे को मान्यता देता है:वास्तविक कब्ज़ा और रचनात्मक कब्ज़ा। एक व्यक्ति जो जानबूझकर किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण रखता है, किसी निश्चित समय पर, उस वस्तु पर वास्तविक कब्ज़ा रखता है।एक व्यक्ति जो, हालांकि वास्तविक कब्ज़ा नहीं रखता है, लेकिन जानबूझकर किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर प्रभुत्व या नियंत्रण रखने की शक्ति और इरादा रखता है, या तो सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से, तो उस वस्तु पर रचनात्मक कब्ज़ा रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

69. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और यह अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त अजय पांडे, बलविंदर सिंह और धरम सिंह से 837.970 किलोग्राम गांजा की बरामदगी को संदेह से परे साबित कर दिया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊ के माध्यम से भारत संघ बनाम मोहम्मद नवा खान,** दाण्डिक अपील संख्या 1043/2021, 22 सितंबर, 2021 को निर्धारित मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है, है, "एक बार कब्जा स्थापित हो जाने पर, जो व्यक्ति दावा करता है कि यह सचेत कब्जा नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा, क्योंकि उसके पास कब्जा कैसे आया, यह उसके विशेष ज्ञान में है।विधि में उपलब्ध अवधारणा के कारण अधिनियम की धारा 35 इस स्थिति को वैधानिक मान्यता प्रदान करती है।धारा 54 के संदर्भ में भी यही स्थिति है, जहाँ अवैध वस्तुओं के कब्जे से भी अनुमान लगाया जा सकता है।

" अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करके या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके उक्त अनुमान का खंडन नहीं किया है, इसलिए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के साथ-साथ धारा 54 के तहत अनुमान लगाया जाता है।

70. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि संपत्ति बदल दी गई है क्योंकि डॉ. राम विजय शर्मा पीडब्लू5 ने कहा है कि उनके द्वारा प्रयुक्त मुहर सी.जी. चांपा की थी और उन्होंने डीआरआई द्वारा लाई गई मुहर का उपयोग नहीं किया था। उनके कार्यालय की मुहर या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट चांपा या तहसीलदार चांपा की है।लेकिन शासकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना, नीमच की रिपोर्ट के अनुसार, उस पर राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश की मुहर लगी थी, जिससे पता चलता है कि परीक्षण ज्ञापन पर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट चांपा के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, डीआरआई के अधिकारियों ने रायपुर कार्यालय या इंदौर कार्यालय में अपनी मुहर लगाई और अन्य संपत्ति को जांच के लिए भेज दिया, इसलिए एफएसएल रिपोर्ट इस मामले से संबंधित नहीं है।

71. आसूचना अधिकारी गौरव पांडे, पीडब्लू2 ने अपने बयान के पैरा क्रमांक 16 में कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(ए) के तहत कार्यवाही के तहत, तहसीलदार चांपा ने प्रत्येक पैकेट से 30 ग्राम के दो नमूने लिए हैं।तहसीलदार ने नमूना पैकेटों को सील कर दिया। नमूना पैकेटों पर P1-S1 से P157-S1 और अन्य नमूनों पर P1-S2 से P157-S2 अंकित थे। इस संबंध में सूची प्र.पी–28 तैयार की गई थी।तहसीलदार रामविजय शर्मा अभियोग 5 ने विधिवत उनका समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि दिनांक 19.02.2020 को, उन्होंने प्रत्येक पैकेट से 30 ग्राम के दो नमूने लिए और उन्हें P1-S1 से P157-S1 तक चिह्नित किया और अन्य नमूनों को P1-S2 से P157-S2 तक चिह्नित किया गया।उन्होंने नमूना पैकेटों को अपने कार्यालय की मुहर से सील कर दिया है। इसके बाद, सूची तैयार की गई और इस संबंध में उन्होंने प्रमाण पत्र Ex.P- 28A जारी किया है। उपरोक्त गवाहों में से किसी ने भी नमूनों और बरामद पदार्थ को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए नमूने/मुहर के निशान के बारे में नहीं बताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. निस्संदेह, तहसीलदार रामविजय शर्मा अभियोग 5 ने अपने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय की मुहर या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट चांपा या तहसीलदार चांपा की हैपरंतु अपने मुख्य परीक्षा में ,उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने सूची तैयार करने के बाद दिनांक 19.02.2020 Ex.P-28A का प्रमाण पत्र जारी किया है।दिनांक 19.02.2020 Ex.P-28 की सूची के कॉलम क्रमांक 5 "सीलबंद करने का तरीका" के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश (रा. नि. आ. म.प्र.) की गोल मुहर प्रत्येक पृष्ठ पर संलग्न है।यदि तहसीलदार–सह–कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सूची तैयार करने के बाद अपने प्रमाण पत्र Ex.P–28A के माध्यम से सूची Ex.P-28 को सही प्रमाणित किया है, तो यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट चांपा या तहसीलदार चांपा की मुहर का उपयोग नहीं किया गया था और नमूनों और शेष भांग को सील करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश की गोल मुहर का उपयोग किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नमूनों की मुहर में हेराफेरी की गई है या जांच के लिए भेजे गए नमूनों को बदल दिया गया था।

73. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था।मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में भी, तहसीलदार निर्वाचन अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए नमूनों को सील करने के लिए उनके द्वारा पुरानी मुहर के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, डीआरआई विभाग केंद्र सरकार के अधीन है, न कि किसी राज्य सरकार का विभाग, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग की मुहर का उपयोग उसके लिए संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि तहसीलदार या तो प्रयुक्त मुहर का चिह्न भूल गए होंगे

या उन्होंने अभियुक्तों का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर बयान दिया होगा ।अतः तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण कथन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में बरामद पदार्थ के नमूने जांच के लिए नहीं भेजे गए हैं

74. अब अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियुक्त अजय पांडे, रविशंकर मिश्रा और बलविंदर सिंह ने अभियुक्त धरम सिंह को सहयोग किया है या वे उपरोक्त अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। 75. इस मामले में, अभियुक्त अजय पांडे, अभियुक्त धरम सिंह और अभियुक्त बलविंदर सिंह के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत साबित हुई है।यह अभिलेख में नहीं आया है कि उपरोक्त सभी नामित व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य से संपर्क में थे, इसलिए उनकी बातचीत से ही यह साबित होता है कि भारी मात्रा में गांजा ले जाने के लिए अपराध करने से पहले उनके विचार एक जैसे थे क्योंकि यदि उनके पास ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं होता तो स्पष्ट रूप से उन्हें लगातार कई दिनों तक एक–दूसरे से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, विशेषकर जब वे किसी भी तरह से एक–दूसरे से संबंधित नहीं हैं।इसके अलावा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा उनके विचारों की पूर्व बैठक स्थापित कर दी गई है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत उनके पक्ष में अनुमान है, इसलिए आरोपियों के लिए छापे की तारीख से पहले एक–दूसरे के साथ उनकी बातचीत का कारण और उद्देश्य स्पष्ट करना अनिवार्य था, अगर यह ट्रक असर पंजीकरण संख्या पीबी–12 क्यू–7045 में भांग परिवहन के बारे में साजिश के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

76. इसके अलावा, संदीप कुमार (पीडब्लू–3) ने बताया है कि उन्होंने ट्रक पंजीकरण संख्या PB-12Q–7045 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरटीओ कार्यालय, गुरदासपुर को पत्र प्र.पी–49 और अनुस्मारक प्र.पी–50 लिखा था और उक्त पत्रों के प्रत्युत्तर में, आरटीओ कार्यालय, गुरदासपुर ने सूचना प्र.पी–51 प्रदान की है, जिसके अनुसार अभियुक्त बलविंदर सिंह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। वैसे भी, ट्रक पंजीकरण संख्या PB-12Q-7045, जिसमें गांजा पाया गया था, पर अभियुक्त बलविंदर सिंह के स्वामित्व को अभियुक्त द्वारा मौखिक या लिखित कथन में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि उसने उक्त ट्रक पर अभियुक्त बलविंदर सिंह के स्वामित्व को स्वीकार किया है।

77. निस्संदेह, संदीप कुमार अभि.3 ने बताया है कि दिनांक 15.07.2020 को उसने आरोपी बलविंदर सिंह के टाटीबंध, रायपुर स्थित घर की तलाशी ली थी और उस समय ट्रक पंजीयन क्रमांक PB-12Q–7045 उसके घर के पास खड़ा पाया गया था और इस संबंध में उसके द्वारा पंचनामा प्र.पी–10 तैयार किया गया था। लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में वाहन संख्या CG-04JB–8237 का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है (दस्तावेज Ex.P-60 के साथ संलग्न)। उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार, आरोपी बलविंदर सिंह पंजीकरण संख्या CG-04JB-8237 वाले ट्रक का पंजीकृत मालिक भी है।यह अभिलेख में नहीं आया है कि आरोपी बलविंदर सिंह ने उक्त वाहन बेच दिया है या छापे की तारीख को उसके कब्जे में नहीं था।अतः, यह साबित हो गया है कि पंजीकरण संख्या CG-

04JB-8237 और PB-12Q–7045 वाले दोनों ट्रक छापे के समय अभियुक्त बलविंदर सिंह के स्वामित्व में थे।

78. इसके अलावा, आजकल भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की कार्यप्रणाली एक ही प्रकार के दो वाहन रखने और एक वाहन पर दूसरे वाहन की नंबर प्लेट लगाने की है, ताकि मादक पदार्थ परिवहन के दौरान पकड़े जाने पर, वे मूल पंजीकरण संख्या वाले दूसरे वाहन को किसी अन्य छोटे अपराध में शामिल कर सकें और बाद में एनडीपीएस मामले की सुनवाई के दौरान उक्त वाहन को किसी अन्य मामले में शामिल करने का बचाव प्राप्त कर सकें।वर्तमान मामले में, अभियुक्त बलविंदर सिंह ट्रक पंजीकरण संख्या CG-04JB-8237 का पंजीकृत मालिक है, जैसा कि Ex.P-60 के साथ संलग्न पंजीकरण प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है और ट्रक पंजीकरण संख्या PB-12Q-7045 का भी मालिक है, जैसा कि Ex.P-51 से प्रमाणित होता है।इन दो वाहनों में से एक उसके घर के पास पाया गया था और दूसरे ट्रक का ठिकाना केवल उसके व्यक्तिगत ज्ञान में था, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, उक्त तथ्य को स्पष्ट करने का दायित्व उस पर था, लेकिन उसने अपने दूसरे ट्रक के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो आरोपी बलविंदर ने अपने घर के पास वाहन CG–04JB–8237 की नंबर प्लेट बदल दी है, जिसे वाहन PB-12Q-7045 की नंबर प्लेट के साथ खड़ा किया गया है या उसे साजिश के तहत गांजा परिवहन के लिए नंबर प्लेट PB-12Q-7045 के साथ उसका ट्रक पंजीकरण संख्या CG-04JB-8237 प्रदान किया गया है।इसलिए, मौके पर जब्त किए गए गांजा के ट्रक पर बलविंदर सिंह का स्वामित्व भी साबित हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

79. इसके अलावा, जब्त ट्रक के पिछले हिस्से/फर्श में बदलाव करके कई गड्ढे बनाए गए थे और उन गड्ढों में रखी ट्रे में गांजा के पैकेट पाए गए हैं।ट्रक के बेस/फर्श में बदलाव और गांजा रखने के लिए गुप्त गड्ढे और ट्रे बनाने का काम केवल वाहन मालिक ही कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।इसलिए, गांजा को गुप्त रूप से परिवहन करने के लिए वाहन में बदलाव करना भी आरोपी बलविंदर सिंह की आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्तता को साबित करता है।

80. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियुक्त रविशंकर मिश्रा पंजीकरण संख्या UP- 70DN–2656 स्कॉर्पियो वाहन चला रहे थे और अभियुक्त अजय पांडे उक्त वाहन में बैठे थे। निःसंदेह, न तो अभियुक्त रविशंकर मिश्रा की व्यक्तिगत तलाशी से और न ही उक्त स्कॉर्पियो से गांजा बरामद किया गया है, अतः इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त रविशंकर मिश्रा भी जब्त ट्रक में भारी मात्रा में गांजा ले जाने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे।

81. इस मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध में अभियुक्त रविशंकर मिश्रा की भूमिका का पता लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की बारीकी से जांच और मूल्यांकन किया, लेकिन केस फाइल पर

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे छापे की तारीख से पहले अभियुक्त रविशंकर मिश्रा और अन्य उपरोक्त अभियुक्तों के बीच मनमुटाव स्थापित हो सके, क्योंकि उपरोक्त सभी कॉल स्टेटमेंट में अभियुक्त रविशंकर मिश्रा की अन्य अभियुक्तों के साथ बातचीत का कोई विवरण नहीं है।ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि छापे की तारीख से पहले, अभियुक्त रविशंकर मिश्रा ने कभी भी अभियुक्त धरम सिंह या बलविंदर सिंह से शारीरिक रूप से मुलाकात की थी।दूसरे शब्दों में, पंजीकरण संख्या UP-70DN-2656 वाली स्कॉर्पियो में आरोपी अजय पांडे के साथ आरोपी रविशंकर मिश्रा की मौजूदगी के अलावा, अपराध में उनकी संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

82. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस्माइलखान अय्यूबखान पठानबनाम गुजरात राज्य, **अपील संख्या 1704/1996, 14.09.1999 को निर्णीत, में कहा है,** "ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी विशेष स्थान पर मौजूद व्यक्ति के पास मादक या मन:प्रभावी पदार्थ पाया गया है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत भी केवल इस आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति उस समय मौजूद थे जब पी.डब्लू.-7 वहां गया था।" इसलिए, केवल अभियुक्त रविशंकर मिश्रा की उपस्थिति के आधार पर, उसके विरुद्ध गांजा परिवहन के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

83. अतः, उपरोक्त विस्तृत चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है किअभियुक्त बलविंदर सिंह ने जानबूझकर अपराध करने के लिए अपना कथित ट्रक उपलब्ध कराया था और यह भी साबित किया कि अभियुक्त धरम सिंह, अभियुक्त अजय पांडे और बलविंदर सिंह के साथ साजिश के तहत जब्त ट्रक में कुल 837.97 किलोग्राम गांजा ले जा रहा था और अभियुक्त अजय पांडे उसे पंजीकरण संख्या UP-70DN-2656 वाली स्कॉर्पियो में ले जा रहा था।

84. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेखों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रतिकूल है, तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपीलार्थी धर्म सिंह, अजय पांडे और बलविंदर सिंह को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

85. परिणामस्वरूप, सी.आर.ए. संख्या 2234/2023, सी.आर.ए. संख्या 1989/2024 और सी.आर.ए. संख्या 2282/2023 को खारिज किया जाता है।अपीलकर्ता अजय पांडे, धर्म सिंह और बलविंदर सिंह

के जेल में होने की सूचना है।उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जेल की सजा की शेष अवधि काटनी होगी।

86. इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/उत्तरवादी रविशंकर मिश्रा को उपरोक्त अपराधों से दोषमुक्ति करते हुए, हमें अपील की अनुमति मांगने वाली सीआरएमपी संख्या 1980/2024 को स्वीकृति देने का कोई कारण नहीं दिखता है।

87. हाल ही में, दोषमुक्ति किए जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे को नियंत्रित करने वाले विधि को लागू करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 984 में रिपोर्ट किए गए "राजस्थान राज्य बनाम किस्तूरा राम" मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:–––

"8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है।जब तक यह न पाया जाए कि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव या विकृत है, तब तक दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसी प्रकार, यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो केवल इसलिए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करना उचित नहीं है कि अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि का मार्ग अधिक संभावित लगता है। हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव नहीं है।

88. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से, अपील की अनुमति मांगने वाली सीआरएमपी संख्या 1989/2024, पूरी तरह से गुण–दोष से रहित होने के कारण, अस्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

89. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति उस जेल अधीक्षक को भेजे जहाँ अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहे हैं ताकि वह अपीलकर्ताओं को यह सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

90. इस निर्णय और मूल अभिलेखों की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन हेतु तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

हेड–नोट :––

संगठित अपराध के प्रकरणो में, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान के परिवहन के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा जाता है, और यह बात ठोस साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध हो जाती है, वहां अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देने में विफलता उनके बचाव के लिए घातक सिद्ध होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur